असंवैधानिक हुआ तीन तलाक

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान

तीन तलाक पर सुप्रीमकोर्ट का निर्णय-मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमान पूर्ण एवं समानता के एक नए युग की शुरूआत

"सर्वोच्च अदालत द्वारा आज तीन तलाक के मुद्दे पर लिए गए ऐतिहासिक फैसले का मैं स्वागत करता हूं। यह फैसला किसी की जय या पराजय का नहीं है। यह मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार और मूलभूत संवैधानिक अधिकार की विजय है। संसार के बहुत सारे मुस्लिम देशों में भी ट्रिपल तलाक का कानून अस्तित्व में नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने ट्रिपल तलाक को गैर संवैधानिक घोषित कर देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को समानता एवं आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही सभी पीड़ित महिलाओं के हक में आये इस फैसले का स्वागत करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं।

मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को मुस्लिम महिलाओं के पक्ष को विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से सर्वोच्च अदालत के सामने रखने के लिए धन्यवाद देता हूं।

आज से देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमान पूर्ण एवं समानता के एक नए युग की शुरूआत हुई है। पार्टी मुस्लिम महिलाओं को मिले उनके अधिकारों एवं सम्मान का स्वागत करती है तथा इसे संकल्पवान 'न्यू- इंडिया' की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखती है।"

श्री अमित शाह

राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी

असंवैधानिक हुआ तीन तलाक

संकलनकर्ता

आदर्श तिवारी

रिसर्च ऐसोशियेट, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान

कला

प्रवीण अभिषेक

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	लेख	पेज
1	● तीन तलाक पर रोक के बाद जश्न मना रही मुस्लिम महिलाएं, मौलानाओं के चेहरे हुए गमगीन! - विवेक शुक्ला	6
2	● तीन तलाक की अमानवीय व्यवस्था से मुक्त हुई मुस्लिम महिलाएं - कनिष्का तिवारी	8
3	● सर्वोच्च न्यायालय ने जब तीन तलाक पर जवाब माँगा था, तब अगर कांग्रेस सरकार होती तो क्या होता ? - डॉ दिलीप अग्निहोत्री	9
4	● मूल स्वरूप में लौटा मुस्लिम समाज - मोदस्सिर खां	10
5	● तीन तलाक प्रकरण दिखाता है कि महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित है मोदी सरकार! - सुगंध प्रिया ओझा	11
6	● तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 में मोदी की जीत की बुनियाद? - अमितेश	12
7	● तीन तलाक़: मोदी सरकार संसद से कानून बनाकर रच सकती है इतिहास - बिजय कुमार	13
8	● तीन तलाक पर तीसरे जज का 'इतिहास बोध' तिल का ताड़ बना सकता था - दमयंती दत्ता	14
9	● मुस्लिम महिलाओं को मिली बड़ी जीत - क्षमा शर्मा	15
10	● बोल कि लब आजाद हैं तेरे - नाइश हसन	16
11	● शाह बानो ने खोया-शायरा बानो ने पाया - राजीव सचान	18
12	● नारी समानता की कठिन राह - तसलीमा नसरीन	20
13	● फैसले से मजबूत होगीं मुस्लिम महिला - जाहिदा हिना	22
14	● तीन तलाक बैन: ये फैसला नहीं, 1400 सालों के अन्याय और शोषण का अंत है - विवेक आनंद	24
15	● तीन तलाक: राजीव गांधी के एक फैसले ने सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा दी थीं - अजय सिंह	26
16	● कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के गले नहीं उतरा है तीन तलाक़ वाला फैसला - अमित अरोड़ा	28
17	● कांग्रेस छाप सेक्यूलरिज्म के बुरे दिन - तवलीन सिंह	29
18	● तीन तलाक पर फैसले के नतीजे - तुफैल अहमद	30

भूमिका

तीन तलाक के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए इस अमानवीय प्रथा को असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट का फैसला आने के बाद देश की मुस्लिम महिलाओं ने इसका स्वागत किया। जाहिर है कि तीन तलाक एक अमानवीय प्रथा थी जिसका दंश मुस्लिम महिलाओं को झेलना पड़ता था। इसको लेकर देश में एक लंबे समय से बहस चल रही थी। किन्तु पूर्ववर्ती कांग्रेसनीत सरकार ने तीन तलाक के मसले पर तुष्टीकरण के चलते कभी मुखरता से इस कुप्रथा के खिलाफ़ बोलने का साहस नहीं दिखाया। किन्तु केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद इस कुप्रथा का खुले तौर पर विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि 'वो बहनें जो तीन तलाक की वजह से पीड़ित हैं, उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। पूरे देश में तीन तलाक के खिलाफ एक माहौल बना। इस आंदोलन को चलाने वाली बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनकी इस लड़ाई में हिंदुस्तान पूरी मदद करेगा, वे सफल होंगी, ऐसा मुझे भरोसा है। इस वक्तव्य के ठीक एक सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना एतिहासिक फ़ैसला सुनाया।

तीन तलाक के मुद्दे पर देश में खूब बहस चली है। इस विषय पर देश के कई बुद्धिजीवियों, लेखकों और विचारकों ने देश के विभिन्न अख़बारों और वेबसाइटों में तीन तलाक के फैसले पर लेख के द्वारा अपने विचार व्यक्त किये है। इस विषय पर वैचारिक पोर्टल नेशनलिस्ट ऑनलाइन डॉट कॉम पर भी कुछ विशेष लेख प्रकाशित किये गए। इन तमाम लेखों को एक जगह संकलित करके एक ई-बुकलेट बनाने की पहल डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान द्वारा की जा रही है। इस संकलन में जितने भी लेख लिए गये हैं सभी लेखों के लिए अधिष्ठान सभी लेखकों व सभी मीडिया संस्था के प्रति आभारी है।

डॉ. अनिर्बान गांगुली

निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी शोध अधिष्ठान

तीन तलाक पर रोक के बाद जश्न मना रही मुस्लिम महिलाएं, मौलानाओं के चेहरे हुए गमगीन!

विवेक शुक्ला

सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर आए ऐतिहासिक फैसले के बाद खबरिया टीवी चैनलों पर बैठे मौलवियों के गमगीन चेहरे और फैसले के स्वागत में देश के अलग-अलग भागों में जश्न मनाती मुसलमान औरतों के चेहरे के फर्क को समझिए। फैसले से दोनों की जिंदगी बदलने वाली है। जहां मौलवी खारिज होंगे अपने समाज में, वहीं मुसलमान औरतें बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ेंगी। दरअसल तीन तलाक के खिलाफ आवाजें हमेशा उठती रहीं हैं, लेकिन कथित तौर पर मजहब से जुड़ा मसला होने की वजह से किसी राजनीतिक दल या सरकार ने इस पर कभी खुला स्टैंड नहीं लिया और अंधकार युग में जीने वाले मौलवी तो चाहते ही थे कि जो व्यवस्था चल रही है, वो जारी रहे। दुनिया में कई ऐसे मुस्लिम देश हैं, जहां वर्षों पहले ही तीन तलाक को बैन कर दिया गया था। इन देशों की संख्या काफी अधिक है। इसमें तुर्की, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के नाम भी शामिल हैं। इसके बावजूद भारत में ट्रिपल तलाक की कुरीति बेशर्मी से जारी थी। इसके चलते ना जाने कितनी बेबस और निरीह औरतों की जिंदगियां बर्बाद हुई। ट्रिपल तलाक पर चलने वाली बहस के दौरान देश की कथित प्रगतिशील बिरादरी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। ये सेक्युलर ब्रिगेड चुप रही।

दादरी में इखलाक के कत्ल पर अपने पुरस्कार वापस करने वाले लेखकों से लेकर मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को बचाने के लिए मोमबती मार्च निकालने वाले तक सब गायब हो गए थे। इनकी लंबी चुप्पी डरावनी सी लगती है। ये क्यों नहीं उन मुस्लिम नेताओं और संगठनों के खिलाफ खड़े हुए जो मुसलमान औरतों को उनका वाजिब हक दिलवाने के रास्ते में अवरोध खड़े हो गए थे? क्या इनसे यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? अलबत्ता दो प्रगतिशील कही जाने वाली मुस्लिम महिला नेत्रियों, फिल्म स्टार शबाना आजमी और माकपा की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व सांसद सुभाषनी अली ने तीन तलाक और बहु-विवाह प्रथा को समाप्त

किये जाने की मांग तब की, जब मामला गरमाया। जिस कांग्रेस के राजीव गाँधी द्वारा प्रधानमंत्री रहते हुए शाहबानो मामले में वोट बैंक की राजनीति के लिए न्यायालय के फैसले को पलटकर मुस्लिम औरतों के साथ भारी अन्याय किया गया था और कांग्रेस भी अबतक इस मामले में बचकर चल रही थी, लेकिन न्यायालय का फैसला आते ही वो मुस्लिम महिलाओं के हक में खड़े होने का ढोंग करने लगी है। कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झाँकना चाहिए।

मुसलमान औरतों के आंसू

सच में इस देश में मुसलमान औरतों का जीवन बेहद कष्टकारी रहा है। हिन्दी के संवेदनशील उपन्यासकार शानी ने 'काला जल' उपन्यास में मुसलमान परिवार में बहू पर होने वाली शब्द बाणों की वर्षा का विस्तार से जिक्र किया है कि किस तरह से बहू को तानें सुनने पड़ते हैं। इसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि किन विषम हालातों में मुसलमान औरत को शादी के बाद अपने ससुराल में रहना होता है। आज मुसलमानों के पिछड़े होने का सबसे बड़ा कारण उस समाज की औरतों का पिछड़ापन ही है। तलाक के वास्तविक अर्थ, सही नियमों एवं शर्तों को भली-भाँति समझे बिना ही मर्दों ने औरतों पर तलाक से संबंधित नियम थोप दिए हैं, सिर्फ अपनी सुविधा के वास्ते। निस्संदेह मुस्लिम औरत आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है। वह आर्थिक रूप से पुरुष पर आश्रित है। अंधेरे और घुटन में सांसें ले रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने वाली औरतों में मुसलमान लड़कियों की संख्या बेहद मामूली है।

तीन तलाक के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के समक्ष चली बहस में ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील गौरतलाब है। उसके वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि तीन तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। कुरआन में तलाक के लिए पूरी प्रक्रिया बताई गई है। पैगंबर की मौत के बाद हनीफी में जो लिखा गया, वह बाद में आया है। उसी में तीन तलाक का जिक्र आया है। कुरआन में तीन तलाक का कहीं भी जिक्र नहीं है। कुरआन इस्लामिक शास्त्र है। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि संविधान पर्सनल लॉ को संरक्षित करता है। उन्होंने इसे आस्था का विषय बताते हुए इसकी तुलना भगवान राम के अयोध्या में जन्म से की

थी। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में आस्था है कि राम अयोध्या में पैदा हुए हैं। ये आस्था का विषय है। तीन तलाक पाप है और अवांछित है, लेकिन पर्सनल लॉ में कोर्ट का दखल नहीं होना चाहिए। यानी अपनी दलील में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये मानते हुए भी कि ट्रिपल तलाक गलत है, इसके जारी रखने की वकालत की।

खैर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। अब सरकार को अपना काम करना है। सरकार बेशक मुसलमान औरतों के हक में खड़ी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को ख़त्म किया है तो इसमें सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो इस मसले पर राजनीति नहीं करना चाहती। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तीन तलाक के मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। अब तय मानिए कि मुसलमान औरतों के हक में नया कानून बनने के बाद भारत के मुसलमान दुनिया भर में अपने समकक्षों को आधुनिकता का मार्ग दिखायेंगे। ❑

(लेखक यूएई दूतावास में सूचनाधिकारी रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

तीन तलाक की अमानवीय व्यवस्था से मुक्त हुई मुस्लिम महिलाएं

कनिष्का तिवारी

ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए देश की सर्वोच्च अदालत की पांच न्यायाधीशों की बेंच ने मंगलवार को मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन तलाक को असंवैधानिक, गैर-कानूनी और अवैध करार दिया है। पांच न्यायधीशों की बेंच में 2:3 के बहुमत से यह फैसला लिया गया। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर ने तीन तलाक को धार्मिक मुद्दा बताते हुए इसे न्यायलय के दायरे से बाहर बताया तो वही न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ़, न्यायमूर्ति आरएसएफ नारीमन और न्यायमूर्ति यूयू ललित ने तीन तलाक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताया जो भारत के नागरिक को समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसे असंवैधानिक बताते हुए इस बेंच ने तीन तलाक पर तत्काल प्रभाव से 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है और साथ ही केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का आदेश भी दिया है।

तीन तलाक पर प्रतिबंध मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक वाज़िब कदम है। तीन तलाक, हलाला और बहु-विवाह जैसी समस्याओं से मुस्लिम महिलाओं पर काफी अत्याचार हो रहे थे, जिनसे अब उन्हें निजात मिलने की उम्मीद है। हालाँकि न्यायालय ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया कि हलाला और बहु-विवाह पर अलग से सुनवाई की जाएगी। छः महीने के पूर्ण प्रतिबंध की अवधि तक न्यायालय ने केंद्र सरकार को तलाक पर नए कानून लाने का समय दिया है। गौरतलब है कि न्यायालय ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया था, पर बाद में इसपर छः याचिकाएं भी दायर की गई थीं, जिनमें से पाँच तीन तलाक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर थीं। इस पर सुनवाई 12 मई 2017 से शुरू होकर 18 मई 2017 तक चली जिसमें न्यायालय ने महिलाओं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और केंद्र सरकार की दलीलें सुनी और अपना फैसला सुरक्षित किया। मुस्लिम महिलाएं जहां तीन तलाक पर पूर्ण प्रतिबंध चाहती थीं, वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक कायम रखना चाहता था। वो इसे इस्लामिक मान्यताओं का एक जरुरी अंग मानता है और इसी आधार पर इसे वाजिब मानते हुए कायम रखना चाहता था। केंद्र सरकार ने इसे समानता के मौलिक अधिकार का हनन माना, क्योंकि तीन तलाक में सारे अधिकार पुरुष को हैं और महिला को नहीं, जिस कारण महिला को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। कई स्थितियों में तो चिट्ठी, ह्वाट्सएप, फोन आदि से भी तलाक के मामले सामने आते रहे हैं, जिस कारण महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अपने पति से दोबारा निकाह करने के लिए उन्हें हलाला जैसी भयानक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था जिसको लेकर कई खुलासे भी सामने आए है। मुस्लिम महिलाओं की इस त्रासदी को ख़त्म करने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार हमेशा से प्रयासों में लगी रही। न्यायालय में केंद्र द्वारा सदैव तीन तलाक को अवैधानिक बताते हुए इसे ख़त्म करने की बात ही कही गयी। सरकार के इस पक्ष का निश्चित तौर पर इस मामले में बड़ा असर पड़ा है। ऐसे में मुस्लिम महिलाओं के विरोध, न्यायालय की सजगता के साथ-साथ इस अमानवीय व्यवस्था के खात्मे का बड़ा श्रेय केंद्र सरकार को भी जाता है।

इस फैसले के साथ ही जहां मुस्लिम महिलाओं में खुशी है, वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि हिंदुओं में भी दहेज और बाल विवाह को लेकर कानून है, पर फिर भी ये प्रथाएं समाज में आज भी हैं। ऐसे ही तीन तलाक 1400 साल पुरानी सामाजिक प्रथा है जिसका ख़ात्मा ऐसे नही हो सकेगा। मगर इनकी इस दलील की लचरता यह है कि हिन्दू अपनी कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए खुद आवाज उठाते हैं, मौलानाओं की तरह उसके बचाव में नहीं उतर पड़ते। दरअसल तीन तलाक पर पड़ी न्यायालय की इस चोट से मौलाना लुटे-पिटे से महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहले ही मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपनी संवेदनाओं को न्यायालय के सामने रख दिया था। इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक विकास के दायरे में सुदृढ़ता से शामिल होने का हौसला भी बुलंद होगा और अपने निजी फैसलों में उन्हें पुरुषों की मनमानी से भी निजात मिलेगी जो एक बड़ी उपलब्धि है। ❑

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

सर्वोच्च न्यायालय ने जब तीन तलाक पर जवाब माँगा था, तब अगर कांग्रेस सरकार होती तो क्या होता ?

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने केवल मुस्लिम महिलाओं को आजादी ही नहीं दी है, वरन इससे धर्मनिरपेक्षता के दावेदार भी बेनकाब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले की सुनवाई के प्रारम्भिक चरण में ही केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। कल्पना कीजिये कि तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार होती तो क्या होता। क्या ऐसा जवाब दाखिल करने का साहस वो दिखा सकती थी, जैसा वर्तमान भाजपा सरकार ने दिखाया। यदि उनमें हिम्मत होती तो इस समस्या का समाधान तीन दशक पहले ही हो जाता। शाह बानों प्रकरण को खासतौर पर मुस्लिम महिलाएं कभी भूल नहीं सकतीं। पांच बच्चों की माँ शाहबानों को उम्र के लगभग आखिरी पड़ाव में तलाक दिया गया था। तीन शब्दों ने उन्हें सड़क पर पहुंचा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर फैसला लिया था। तलाक देने वाले शौहर से शाहबानों को गुजारा भत्ता देने को कहा गया था। इसके बाद तो सियासी हलकों में ऐसा लगा जैसे धर्मनिरपेक्षता पर कहर टूट पड़ा हो। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार प्रचंड बहुमत में थी। राजीव गाँधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस बहुमत के बल पर न्यायिक आदेश को निष्प्रभावी करके ही दम लिया। यह कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की धर्मनिरपेक्षता थी, जिसमें मुस्लिम जगत की आधी आबादी के लिये कोई जगह नहीं थी। धर्मनिरपेक्षता के ऐसे हिमायतियों का चरित्र बदला नहीं है। यह देखने के लिये ज्यादा पीछे लौटने की जरूरत नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए अभी छह महीने भी नहीं बीते हैं। उस चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस सभी ने तीन तलाक पर केंद्र सरकार के रुख को संप्रदायिक करार दिया था। इन पार्टियों के वरिष्ठ नेता प्रत्येक जनसभा में यह विषय उठाते थे। उनका कहना था कि यह मजहबी विषय है। इसे मजहब को ही तय करना चाहिये। इस बार बसपा ने दलित-मुस्लिम गठजोड़ बनाने में दम लगा दी थी। मयावती ने तीन तलाक के विषय को एजेंडे में ऊपर रखा था। उनकी प्रतिस्पर्धा में उत्तर प्रदेश का साथ अर्थात अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी कूद गये। इन्होंने भी इसपर सरकार के रुख व न्यायपालिका की प्रक्रिया को अनावश्यक माना था। किसी ने यह नहीं सोचा कि मुस्लिम समुदाय को सुधार के लिये रोका किसने था? तीन तलाक की समस्या तो लंबे समय से उठायी जा रही है। साधारण बातों पर फतवा जारी करने वाले मौलाना इस विषय पर मौन क्यों हो जाते थे? वह तो इस पर चर्चा के लिये भी तैयार नहीं थे। समाधान तो बहुत दूर की बात है। कई विद्वान तो इसे शरीयत के अनुकूल बता रहे थे। उनके अनुसार इस पर विचार किया ही नहीं जा सकता। इसके बाद भी ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता यही रट लगाते रहे कि तीन तलाक मज़हबी व संवेदनशील मुद्दा है। इस पर मुस्लिम समुदाय को ही विचार करना चाहिये। लेकिन इस बात का जवाब नहीं दिया कि समाज के जिम्मेदार लोग ही इससे हर दर्जे तक बेपरवाह हैं, तो क्या किया जाए? स्पष्ट है कि ये सभी लोग समाधान से भागना चाहते थे। इन्हें लगता था कि वोट बैंक की राजनीति के तहत इस मसले में नहीं पड़ना चाहिये। आधुनिक तकनीक का भी असर दिखायी देने लगा। मोबाइल फोन से तलाक होने लगे। इस पर भी मुस्लिम धर्मगुरु विचार करने से बचते रहे। कुछ अवश्य कह रहे थे कि एक बार में तीन तलाक कहना गलत है। इसकी इजाजत कहीं नहीं दी गयी।

यह मानना होगा कि सरकार के जवाब से ही यह समस्या समाधान तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इस विषय पर जवाब मांगा। सरकार ने वास्तविक पंथनिरपेक्षता का परिचय दिया। उसने इस विषय को वोट बैंक की सियासत से नहीं देखा। संविधान, मुस्लिम-जगत, आदि पर व्यापक विचार के बाद जवाब तैयार किया। जहां तक संविधान की बात है, उसमें समान कानून की बात कही भी गयी है। फौजदारी विषयों पर समान कानून लागू भी है। इसके लिये कोई यह नहीं कहता कि इनकी जगह शरियत के नियम लागू होने चाहिये। फिर तीन तलाक पर ही ऐसी बातें क्यों हो रही थी? सरकार ने बताया कि मुस्लिम देशों ने भी तीन तलाक पर कानूनी रुप से प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने एक बार में तीन तलाक को गलत माना, इसे अपने-अपने मुल्क में प्रतिबंधित कर दिया। ऐसे में भारत को भी इस सुधार पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार सरकार ने संविधान और मजहबी संवेदनशीलता को ध्यान में रखा। उसने अपनी तरफ से पहल नहीं की थी। वरना सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्वयं तीन तलाक को संज्ञान में लिया था। इसके बाद पांच याचिकाओं में भी इसे समाप्त करने की अपील की गयी थी। भारत तो वैसे भी सुधारों का देश रहा है। मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिला, पूरा देश इस खुशी में शामिल है। ❑

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

मूल स्वरूप में लौटा मुस्लिम समाज

मोदस्सिर खां

पति-पत्नी के बीच का रिश्ता बहुत खास होता हैं। इनके बीच रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही नाजूक भी होता है। हर किसी के बीच में मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। कभी-कभी ये नोक-झोक इस कदर बढ़ जाती है कि मामला तलाक तक पहुंच जाता है। तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है। इस्लाम में भी यह बुरी बात समझी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि तलाक का हक ही किसी से छीन लिया जाए। पति पत्नी में अगर बात नहीं बन पा रही है, तो उन्हे पूरा हक है कि वो अपने रास्ते अलग कर ले और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिए। इसलिए दुनिया भर में तलाक की गुजांईश बाकी है और इसी तलाक को लेकर आज हिन्दुंस्तान में एक बहस छिड़ी हुई है। इस मामले में हर किसी का अपना नजरिया है।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुमत के निर्णय में मुस्लिम समाज में एक बार में तीन बार तलाक देने की प्रथा को निरस्त करते हुए अपनी व्यवस्था में इसे असंवैधानिक, गैरकानूनी और शून्य करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक की यह प्रथा कुरान के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने 365 पेज के फैसले में कहा, 3:2 के बहुमत से दर्ज की गई अलग-अलग राय के मद्देनजर (तलाक-ए-बिद्दत) तीन तलाक को निरस्त कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर ने तीन तलाक की इस प्रथा पर छह महीने की रोक लगाने की हिमायत करते हुए सरकार से कहा कि वह इस संबंध में कानून बनाए जबकि न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन और न्यायमूर्ति उदय यू ललित ने इस प्रथा को संविधान का उल्लंघन करने वाला करार दिया। बहुमत के फैसले में कहा गया कि तीन तलाक सहित कोई भी प्रथा जो कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ है, अस्वीकार्य है। तीन न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि तीन तलाक के माध्यम से विवाह विच्छेद करने की प्रथा मनमानी है और इससे संविधान का उल्लंघन होता हैं, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में भुचाल आ गया है। हर कोई अपने तरीके से इसे परिभाषित कर रहा है। कोई इसे मुस्लिम समाज के लिए निर्णायक फैसला बता रहा है तो कोई इसकी आलोचना कर रहा है। कई लोग तो इस फैसले को राजनीतिक नफा नुकशान के नजरिए से भी आंकलन शुरू कर दिए हैं। तीन तलाक से किसे फायदा होगा और किसे नुकशान इस अभी कुछ कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। दरअसल लोग तीन तलाक के मुद्दे पर कई भागों में बटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में मेरा मानना है कि 1400 साल पुरानी प्रथा फिर से शुरू हो गई है। दरअसल कोर्ट ने अपने जजमेंट में तीन प्रकार के तलाक, तलाके-बिद्दत (एक झटके में तीन तलाक) तलाक़े हसन (हर महीने एक तलाक) और तलाक़े अहसन (हर तीन महीने में एक तलाक) का जिक्र किया है। कोर्ट का जो फैसला है वो तलाक़े बिद्दत पर है। इस्लाम के जानकारों का कहना है कि इस्लाम में मोहम्मद स. और पहले खलीफा अबूबक्र र. के समय तलाक़े अहसन प्रथा को अपनाया जाता था। उस समय तीन तलाक को एक ही माना जाता था। यानी अगर कोई एक झटके में तीन तलाक देता था तो उसे एक माना जाता था। उसके बाद दूसरे खलीफा उमर र. 634-644 तक खलीफा रहे। इनके दौर में पहले दो साल तक तीन तलाक को एक ही माना जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए तलाक़े बिद्दत को अपनाया । यानी एक झटके में तलाक, तलाक तलाक बोलकर रिश्ता खत्म लेना। यही आज बहस का मुद्दा बना हुआ है।

दरअसल मुस्लिम समाज में आज शिक्षा की काफी कमी है। शिक्षा के साथ-साथ उन्हे अपने मजहब के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। इस कारण उन्हे कई बार समस्या का समान करना पड़ता है। अभी मुस्लिम समाज में अधिकांश लोग हैं जिन्हे तलाक देने का सही तरीका नहीं पता है। ऐसे में सभी मुस्लिम संगठन को आगे आना चाहिए और लोगों को इसके बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए । जिससे लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें। तलाक के मामले में सरकार के कानून बनाए जाने के बाद ही स्थिति और साफ हो पाएगी। लेकिन अभी मौजूदा हालात में कोर्ट ने इस पर 6 महीने के लिए रोक लगा दिया है और संसद को कानून बनाने का निर्देश दिया है। अभी तलाक़े हसन और अहसन में कोई छेड़ छाड़ नहीं किया गया। अभी कोई तलाक बिद्दत प्रथा से तलाक देता है तो उसे नहीं माना जाएगा। यानी उसे तलाक के दो अन्य प्रथा को अपनाना होगा। इसका मतलब यही हुआ कि 1400 साल पुरानी प्रथा के खत्म होने के साथ- साथ हम अपने मूल स्वरूप में लौट आए हैं जो हजरत मोहम्मद स. के दौर में प्रचलित था। ❑

तीन तलाक प्रकरण दिखाता है कि महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित है मोदी सरकार!

सुगंध प्रिया ओझा

शाह बानो मामले में भी न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, मगर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने शाहबानों का साथ नहीं दिया बल्कि क़ानून बनाकर न्यायालय के फैसले को पलट डाला था। लेकिन, इस बार जब न्यायालय ने तीन तलाक के खात्मे का ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए क़ानून बनाने का जिम्मा सरकार पर डाला है, तब ऐसी सरकार है जो पूरी तरह से मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है। न्याय की देवी ने इस बार मुस्लिम महिलाओं के लिए जिस फ़ैसले पर मुहर लगाई, उसकी ख़ुशी उनके इंटरव्यूज़ में देखी जा सकती है। तीन तलाक़ यानि तीन बार तलाक़ कह देने पर तलाक़ मान लेना मुस्लिम समाज की एक कुरीति रही है। अगर शौहर तीन बार तलाक़ कह दे तो तलाक़ हो जाता है, जबकि बीवी तलाक लेने के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकती है। सलमा आघा की 1982 की फिल्म 'निक़ाह' में इसे बड़े कारुणिक ढंग से दिखाया गया है। कई संगठन और एक्टिविस्ट्स इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन मज़हब के नाम पर जो कुरीति थी, उसे बदलने के लिए मज़बूती से फैसला लेने की ज़रूरत थी। 22 अगस्त 2017 को पांच न्यायाधीशों में से 3 ने तीन तलाक़ को ख़ारिज करते हुए कहा कि मजहबी क़ानून में हस्तक्षेप करने की आज़ादी आर्टिकल 25(2) में मिलती है। चूँकि, मुस्लिमों के निजी कानून के अंतर्गत इस प्रथा को माना जाता था, लेकिन उसमें भी संशोधन के रास्ते संविधान हमें देता है। तीन तलाक़ को जहां असंवैधानिक माना गया, वहीं ये समझना भी जरूरी है कि ये एक कुरीति है। 3:2 के अनुपात से ये फ़ैसला ले लिया गया।

कई महिला वकीलों का कहना था कि किसी भी प्रगतिशील देश में ऐसी कुरीति के लिए कोई जगह नहीं है। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत अन्य 18 मुस्लिम देशों ने इसपे रोक लगा रखी है। पर, भारत को शायद एक मज़बूत निर्णायक सरकार का इंतज़ार था, क्योंकि इतिहास पलटकर देखें तो शाहबानो मामले में जब मुस्लिम औरतों के साथ खड़े होने का एक अवसर आया था, तब राजीव गाँधी की सरकार ने न्यायालय के फैसले को पलटकर उनसे किनारा कर लिया था। लेकिन, आज मौजूदा सरकार ने उनकी तकलीफों को समझते हुए उनके साथ खड़े होकर अपने संवेदनशील रुख का परिचय दिया है। कह सकते हैं कि एक सरकार ने शाह बानों के साथ अन्याय किया था, आज एक सरकार ने शायरा बानो को न्याय दिलाया है। समानता की बात भारत ने शुरू से ही की है। रज़िया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर महिलाओं के देश में हम एक समुदाय को उसका हक़ नहीं दे पा रहे थे, ये हमारी असफ़लता थी। जहाँ भारत दहेज प्रथा को हटाकर, सख्त क़ानून लाता है, बेटियों को उनके पिता के जायदाद में हिस्से का पात्र बनाता है, वहीं एक समुदाय पूरी तरह से पीछे छूट रहा था। मोदी सरकार ने हाल ही में तीन तलाक़ को ख़त्म करने का वादा यूपी चुनाव के दौरान किया था। आलोचकों का कहना था कि ये सिर्फ जुमला है और चुनावी वादा है। हालाँकि निर्णय का श्रेय तो सर्वोच्च न्यायालय को ही जाता है, मगर इसमें सरकार की भो महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी है। मुख्य न्यायमूर्ति ने सरकार से इस मामले में छः महीने के अंदर क़ानून लाने को कहा है। अब भी कई कुरीतियां सदियों से ऐसी चली आ रहीं हैं, जैसे हलाला, बहुपत्नी आदि जो कि मुस्लिम महिलाओं के बुनियादी अधिकारों का हनन है। एक से ज़्यादा पत्नियां रखने की भी आज़ादी है, जहाँ कई कमज़ोर महिलाएं कुछ नहीं कह पाती हैं। हालाँकि समय के साथ ऐसी प्रथाएं कम हुईं हैं। लेकिन तीन तलाक़ से जुडी ऐसी कई ख़बरें सामने आई थीं, जिनमें शौहरों ने फोन पर, मैसेज द्वारा, चिट्ठी द्वारा अपनी बीवियों को तलाक़ दे दिया था।

2016 में शायरा बानो के मामले ने न्यायालय को झकझोर दिया। उनके पति ने चिट्ठी द्वारा उन्हें तलाक़ दे दिया था। इस मामले ने न्यायालय को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया। 2 महीने बाद आफ़्रीन रहमान ने भी अपने तलाक़ को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी और इनके जैसी कई महिलाओं ने न्यायालय में आवाज़ उठाई। मामला खिंचा और कुछ समय बाद पांच न्यायाधीशों को इस पर फैसला लेने का ज़िम्मा सौंपा गया। एक सिख, एक इसाई, एक हिन्दू, एक पारसी और एक मुस्लिम। आखिरकार आज हम जब इस फैसले को सुनते हैं तो ऐसी महिलाओं पर गर्व होता है जिन्होंने आवाज़ उठाई। न्यायालय के इस फैसले का बड़े उल्लास के साथ मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग ख़फ़ा हैं और इसे मानना नहीं चाहते, पर मन से या क़ानून के भय से उन्हें ये सच्चाई स्वीकारनी पड़ेगी। पितृसत्तात्मक समाज से ऊपर उठने में अभी कई सामुदायिक और व्यक्तिगत मतभेद हैं, जिसे ये मज़बूत सरकार और जनता का मज़बूत विश्वास मिलकर जल्द ही नष्ट कर देंगे और प्रगतिशील भारत में समानता को सही ढंग से परिभाषित किया जा सकेगा। ❑

(लेखिका डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में इंटर्न हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2019 में मोदी की जीत की बुनियाद?

अमितेश

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया है। अब मुस्लिम महिलाओं को महज तीन बार तलाक बोलकर तलाक नहीं दिया जा सकता। सालों से उन महिलाओं के साथ जारी नाइंसाफी का अंत आखिरकार हो ही गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी दलों की तरफ से इसका स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी तो पहले से ही ट्रिपल तलाक के खिलाफ थी। लेकिन, अब बाकी दूसरे दल भी खुलकर इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं।

बीजेपी सरकार की तरफ से ट्रिपल तलाक के मसले को काफी आक्रामक तरीके से उठाया गया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर अपनी तरफ से दलील दी थी, लेकिन, दूसरी तरफ पार्टी ने भी इस मसले को लेकर काफी आक्रामक अभियान चला रखा था। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को अलग-अलग फोरम पर उठाया था। मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की बात की थी। उनके साथ जारी नाइंसाफी को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। अब जबकि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मनमुताबिक फैसला सुना दिया है तो फिर श्रेय लेने की पूरी कोशिश भी हो रही है।श्रेय लेने की कोशिश में किसी तरह का हर्ज भी नहीं है। क्योंकि इस फैसले के आने से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉर्ड के अधिकार क्षेत्र में दखल देने की बात कर सरकार और बीजेपी की कोशिश पर सवाल खड़े हो रहे थे। बीजेपी पर समान नागरिक संहिता के अपने एजेंडे को थोपने के आरोप लगाए जा रहे थे। तथाकथित सेक्युलर ब्रिगेड के नेताओं की तरफ से लगातार बीजेपी पर देश के माहौल को खराब करने का आरोप लग रहा था। लेकिन, बीजेपी इस मुद्दे को लगतार उठाती रही। मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दुहाई देकर बीजेपी ने लगातार ट्रिपल तलाक को क्रूर बताया। अब फैसला आने के बाद बीजेपी की तरफ से इसे बड़ी जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हालाँकि साफ कर दिया कि इस फैसले को किसी की हार या जीत के तौर पर ना देखा जाए। लेकिन, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने आने के बाद पार्टी इसे ऐतिहासिक फैसला बता रही है।

अमित शाह ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत हो गई है। शाह ने इसे स्वाभिमान और समानता के नए युग की शुरुआत बताया। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्रिपल तलाक खत्म होने पर प्रधानमंत्री की तारीफ भी की है। बीजेपी अध्यक्ष के तेवर से साफ है कि बीजेपी आने वाले दिनों में इस फैसले को देश के मुसलमानों की आधी आबादी के सशक्तिकरण से जोड़कर पेश करेगी। बीजेपी लगातार इस फैसले के बाद मुस्लिम महिलाओं में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगी। पार्टी की तरफ से यह प्रचारित करने का प्रयास भी होगा कि सरकार की कोशिश से ही ट्रिपल तलाक को खत्म किया जा सका है। इससे मुस्लिम समाज में खासतौर से महिलाओं को अपनी ओर खींचने का मौका मिलेगा।

फिलहाल इसमें काफी हद तक सफलता भी मिलती दिख रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त भी बीजेपी ने मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए ट्रिपल तलाक को खत्म करने की वकालत की थी। योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसके खिलाफ बोलते रहे। यूपी के भीतर बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम महिलाओं ने वोटिंग की। चुनाव के वक्त भी इस तरह की बात कही जा रही थी। लेकिन, जब चुनाव परिणाम सामने आया तो फिर ये बात साफ भी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। मोदी ने कहा है कि इस फैसले से महिलाओं को समानता का अधिकार मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। बीजेपी की रणनीति से लग रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी देश भर में इस मुद्दे के सहारे अपने कोर वोटर को भी साधने की कोशिश करेगी, जो अबतक पार्टी को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कदम ना उठाने के लिए कोसते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विरोधी दल भी इसका स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को श्रेय ना लेने की नसीहत दी जा रही है। लेकिन, अब काफी देर हो चुकी है। सेक्युलर ब्रिगेड अब चूक गया है। सियासत के इस खेल में बाजी एक बार फिर मोदी के हाथ लगी है। मोदी इस बड़ी जीत के बाद माहौल को इतनी आसानी से हाथ से नहीं निकलने देंगे। मोदी की नजर 2019 पर है। तैयारी अभी से ही शुरू है। ऐसे में इस लड़ाई की तैयारी में ट्रिपल तलाक जैसे भावनात्मक मुद्दे पर मिली जीत 2019 में मोदी की जीत की आधारशिला साबित हो सकती है।❑

(22 अगस्त 2017 फर्स्टपोस्ट हिंदी पर प्रकाशित।)

तीन तलाक़: मोदी सरकार संसद से कानून बनाकर रच सकती है इतिहास

बिजय कुमार

तीन तलाक को लेकर उच्चतम न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया है और इसपर रोक लगाते हुए न्यायालय ने कहा कि ये काम सरकार और संसद का है, सरकार 6 महीने में तीन तलाक को लेकर कानून बनाएआ रहा है। तीन तलाक के खिलाफ याचिकाकर्ता शायरा बानो के वकील अमित चड्ढा ने कहा था कि अनुच्छेद 25 में धार्मिक प्रथा की बात है और तीन तलाक अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं हो सकता है। वहीं धार्मिक दर्शनशास्त्र में तीन तलाक को बुरा और पाप कहा गया है।

तीन तलाक पीड़ितों में से एक की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने इस प्रथा की कठोर शब्दों में आलोचना करते हुए इसे 'घृणित' बताया था और कहा था कि यह महिलाओं को तलाक का समान अधिकार नहीं देता। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि अनुच्छेद-25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के तहत परंपरा की बात है और संविधान पर्सनल लॉ को संरक्षित करता है। उन्होंने कहा था कि 1400 साल से यह आस्था चली आ रही है। सरकार चाहे तो पर्सनल लॉ को रेग्युलेट करने के लिए कानून बना सकती है।

केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि संविधान कहता है कि जो भी कानून मौलिक अधिकार के खिलाफ है, वह कानून असंवैधानिक है और न्यायलय को इस मामले को संविधान के दायरे में देखना चाहिए। यह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है साथ ही तीन तलाक महिलाओं के मान-सम्मान और समानता के अधिकार में दखल देता है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायधीश जे.एस. खेहर के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पीठ में शामिल तीन जज तीन तलाक को अंसवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे, वहीं 2 दो जज इसके पक्ष में नहीं थे। मुस्लिम महिलाएं तीन तलाक का लंबे समय से विरोध कर रही हैं।

हाल के कुछ वर्षों में तो तीन तलाक से जुड़े कई अजीबो-गरीब मामले देखने को मिले हैं जो हैरान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था कि 'वो बहनें जो तीन तलाक की वजह से पीड़ित हैं, उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। पूरे देश में तीन तलाक के खिलाफ एक माहौल बना। इस आंदोलन को चलाने वाली बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं।

उनकी इस लड़ाई में हिंदुस्तान पूरी मदद करेगा, वे सफल होंगी, ऐसा मुझे भरोसा है।' उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि 'तीन तलाक पर सुप्रीमकोर्ट का निर्णय- मुस्लिम महिलाओं के लिए स्वाभिमान पूर्ण एवं समानता के एक नए युग की शुरुआत।' वैसे इस तरह के मामलों में खूब राजनीति देखने को मिलती है, देखना ये है कि कितना जल्दी संसद इसपर कानून बनाने में सफल होती है।

कुछ इसी तरह के मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली पांच बच्चों की माँ शाहबानो को उच्चतम न्यायालय में केस जीतने के बाद भी अपने पति से हर्जाना नहीं मिल सका। कारण था मुस्लिम मामलों को लेकर हुई राजनीति। मुस्लिम धर्मगुरुओं को पारिवारिक और धार्मिक मामलों में अदालत का दख़ल मुस्लिम अधिकारों के लिए खतरा लगा और उनके विरोध के फलस्वरूप 1986 में राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में आकर मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986 पारित किया, जिससे शाहबानो के बजाय उसके पति को राहत मिली गयी। इतना तो तय है कि मोदी सरकार इसपर कानून बनाने कि पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उसका रुख तीन तलाक के खिलाफ रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मोदी सरकार शाह बानो के मामले से सीख लेते हुए मुस्लिम महिलाओं के हक में फैसला करेगी। ❑

(- साभार आईचौक)

तीन तलाक पर तीसरे जज का 'इतिहास बोध' तिल का ताड़ बना सकता था

दमयंती दत्ता

सिर्फ तीन शब्द कहकर भारतीय मुस्लिमों द्वारा अपनी पत्नी को तलाक दे देने के खिलाफ चल रही लड़ाई में आखिरकार औरतों को जीत मिल ही गई। कम से कम कानूनी तौर पर तो इस क्रूर व्यवस्था का अंत हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने गेंद को सरकार के पाले में फेंक दिया है। छः महीने बाद, नीति निर्माताओं को एक कानून लागू करके तीन तलाक को निरर्थक और खत्म करना होगा। एक बार फिर से इस मुद्दे पर राजनीति का खेल शुरु होने के लिए तैयार रहें। खासकर अगर आपको याद हो कि कैसे यूपी चुनाव से ठीक पहले तीन तलाक एक अभियान बन गया था या फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस मुद्दे को उठाया था।

छटपटाहट

लेकिन इस 'बर्बर मध्ययुगीन प्रथा' के खिलाफ छाती पीटने, सभी टीवी चैनलों के सामने बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं का जीत संकेत के लिए 'वी' का संकेत देने से इतर कुछ चीजें अभी भी परेशान करती हैं। सबसे पहले तो ये कि फैसले पर एक राय नहीं थी। दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने का समय दिया है, तीसरा भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहार और जज अब्दुल नज़ीर ने तीन तलाक के पक्ष में स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सात तीन तलाक याचिकाओं की रोजाना सुनवाई के लिए बनाई गई पांच जजों की बेंच में धार्मिक तटस्थता को बनाए रखने की पूरी कोशिश की थीः मुख्य न्यायमूर्ति खेहर (सिख), न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ (ईसाई), न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन (पारसी), न्यायमूर्ति यू यू ललित (हिंदू) और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर (मुस्लिम)। लेकिन क्या ये वास्तव में जरुरी था? ये कितना जरुरी था? क्या हमें सर्वोच्च न्यायालय पर इतना भरोसा नहीं है कि वो अपने सभी पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर फैसला सुनाता है फिर चाहे जज का धर्म कोई भी क्यों न हो? उसके बाद जजों के फैसले में ही टकराव हो गया। चीफ जस्टिस खेहर और न्यायमूर्ति नज़ीर ने ट्रिपल तलाक का समर्थन कर दिया जबकि न्यायमूर्ति नरिमन, ललित और यूसुफ ने इसे असंवैधानिक बताया। चीफ जस्टिस खेहर और न्यायमूर्ति नज़ीर ने कहा कि सुन्नी मुसलमानों के बीच ट्रिपल तलाक 1,000 सालों से चला आ रहा है और इसे तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद इस पर कानून नहीं बना देती। क्या केस में मुद्दा परंपरा का था या फिर संवैधानिकता का? मुख्य याचिकाकर्ता शायरा बानो ने तीन तलाक की संवैधानिकता को चुनौती दी थी। इसलिए भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के सदस्यों ने 50,000 से ज्यादा हस्ताक्षरों के साथ उनका समर्थन किया था। अगर सिर्फ परंपरा ही एक बिंदु थी, तो क्या भारत कभी सती प्रथा से छुटकारा पा सकता था? क्या बेटियों को कभी उनके पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा मिल सकता था? या जिन मंदिरों में सदियों से सिर्फ पुरुषों को प्रवेश करने की इजाजत थी वहां क्या महिलाओं को कभी प्रवेश करने का अधिकार मिलता?

क्या पूर्व के कानून के भविष्य के कानून को नियंत्रित कर सकते हैं?

मुख्य न्यायधीश खेहर और न्यायमूर्ति नजीर ने छह महीने तक तीन तलाक के कानून पर रोक लगाने की सिफारिश की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपने मतभेदों को अलग रखकर छह महीनों के भीतर एक कानून लाने में केंद्र सरकार के मदद की गुजारिश की। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो तीन तलाक पर रोक जारी रहेगा। न्यायाधीश (अल्पमत फैसले) ने भी 'उम्मीद' व्यक्त की कि कानून बनाते समय मुस्लिम निकायों और शरिया की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। ससे सुप्रीम कोर्ट के इरादे और साहस के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं। क्या ये छह महीने की समय-सीमा एक बार फिर से उसी कानूनी लड़ाई को नहीं खोल देगा जो रूढ़िवादी और प्रगतिशील, मुल्लाओं और पीड़ितों के बीच इस मामले को अदालत में आने से पहले से ही चल रहा था?आखिर सुप्रीम कोर्ट को प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में क्यों सोचना पड़ता है? क्यों वो न्याय नहीं देते जिसका अधिकार उन्हें संविधान देता है? पल तलाक आज के आधुनिक, स्वतंत्र भारत में अप्रासंगिक है। क्योंकि महिलाओं (या किसी के लिए लागू होता है) को निजी जीवन में मनमाने प्रतिबंधों और पुरातन रीति-रिवाजों में फांस कर नहीं रख सकते। आज हम जिस फैसले को एक 'ऐतिहासिक फैसला' कह रहे हैं वो इधर का उधर हो जाता अगर किसी एक और जज ने मान लिया होता कि तीन तलाक जायज है क्योंकि ये सदियों से चला आ रहा है! ❑

(यह लेख आईचौक पर प्रकाशित हुआ।)

मुस्लिम महिलाओं को मिली बड़ी जीत

क्षमा शर्मा

22 अगस्त, 2017 की तारीख खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कही जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की जिस पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार देने वाला फैसला सुनाया, उसमें विभिन्न धर्मों को मानने वाले न्यायाधीश थे। इस फैसले से मुस्लिम औरतों के मन से शादी के बाद हमेशा बना रहने वाला तलाक का डर खत्म हो जाएगा। धर्म की आड़ लेकर पुरुषों ने जिस तरह से उन्हें लगातार तलाक के डंडे से पीटा, सताया और बेसहारा छोड़ दिया, समझिए कि यह दुःस्वप्न अब खत्म हुआ।

तीन तलाक जैसी कुप्रथा की शिकार औरतों की हालत पर कुछ साल पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए सईदा हमीद ने एक रिपोर्ट तैयार की थी - वॉयस ऑफ द वॉयसलैस। इसमें इन औरतों की जिस दुर्दशा का वर्णन है, उसके बारे में जान रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अफसोस तो यह है कि बहुत से वामपंथियों ने भी कट्टरपंथियों की हाँ में हाँ मिलाते हुए तीन तलाक को पर्सनल लॉ के तहत माना और इसमें किसी भी तरह के बदलाव की मुखालिफत की। इन्हें तीन तलाक बोलकर सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाने वाले पुरुषों का कोई कसूर नहीं दिखा। 'तलाक-तलाक-तलाक' जैसे तीन शब्दों ने लाखों औरतों की जिंदगी बर्बाद की, ऐसा बहुत सी मुसलमान औरतों ने ही चर्चा के दौरान कहा। इसके अलावा निकाह हलाला के जरिए भी औरतों के साथ भारी अन्याय किया गया। जिस पति ने उसे तलाक दिया है, अगर वह फिर से उस औरत से शादी करना चाहे तो पहले औरत को किसी और से शादी करके उसके साथ रात बितानी पड़ती है। कई लोगों ने इसे औरतों के शोषण का धंधा बना रखा था। वे ऐसी औरतों से एक रात के लिए शादी करके ऐय्याशियां करते थे और कोई कुछ नहीं कहता था।

शायरा बानो नामक जिस महिला ने तीन तलाक के खिलाफ याचिका दी थी, उसने कहा था कि सब लोग कहते हैं कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी मेरे किसी काम नहीं आई। मैं एमबीए हूं, मगर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया और किसी ने मेरी मदद नहीं की। बहरहाल, यह तो कहना होगा कि शाह बानो से शायरा बानो तक आते-आते तीन तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की दुनिया बदल गई। शाह बानो को उच्चतम न्यायालय ने न्याय दिया था, लेकिन उस समय केंद्र की सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार ने इसे पलट दिया था। इसके उलट मौजूदा केंद्र सरकार ने पूरी तरह से न केवल शायरा बानो, बल्कि तमाम सताई गई मुस्लिम महिलाओं का साथ दिया है। प्रधानमंत्री खुद कई बार तीन तलाक के खिलाफ और मुसलमान महिलाओं के पक्ष में बोल चुके हैं। आखिर किसी में तो इतनी हिम्मत आई कि वह सताई गई मुसलमान औरतों के पक्ष में निडर भाव से खड़ा हो सका।

शाह बानो को जिस तरह राजीव गांधी और उनकी सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथियों से डरकर बलि चढ़ा दिया, वह बेहद शर्मनाक और दुखद है। स्थिति की भयावहता तो देखिए कि उच्चतम न्यायालय ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन शाहबानो ने एक इंटरव्यू में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उसके पक्ष में फैसला देकर गलत किया है। कभी ऐसा बयान सुना है आपने कि जिसे कानूनी लड़ाई में जीत मिली हो, वह कहे कि उसकी जीत गलत है। बाद में शाहबानो ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि अगर वह ऐसा न कहती तो देश में खून की नदियां बह जातीं। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला आने से पहले कांग्रेस के सलमान खुर्शीद को कहना पड़ा कि जब बहुत से मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं है, तो यहां ही इसकी क्या जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि अपने देश में यह कोई खास समस्या नहीं है, सियासी कारणों से इसे अधिक तूल दिया जा रहा है। खुर्शीद साहब मान लीजिए कि आपकी गाड़ी छूट गई। महिलाओं के नाम पर घड़ियाली आंसू तो आप व आपकी पार्टी हमेशा बहाती रही है, मगर हकीकत यही है कि मुस्लिम औरतों के लिए आपने कुछ नहीं किया।

मोदी सरकार की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने मुसलमान महिलाओं की तकलीफ को समझा और इस संदर्भ में स्पष्ट रुख अख्तियार किया। इस फैसले के बाद देशभर में मुस्लिम महिलाओं में जिस तरह खुशी की लहर दौड़ी और वे एक-दूसरे को मिठाई खिलाती नजर आईं, वह दर्शाता है कि उनके लिए ये जीत कितनी बड़ी है। तीन तलाक के खिलाफ एक पक्षकार, भारतीय मुस्लिम महिला मंच की जकिया सोमन ने कहा कि इस जीत के लिए हमें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। अब संसद का यह कर्तव्य है कि वह मुस्लिम औरतों को भी पूरे हक दिलाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी व संपत्ति में अधिकार की बात भी है। ये भी औरतों को मिले। बहुविवाह और निकाह हलाला भी खत्म होना चाहिए। सच बात है तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम महिलाओं की तकदीर बदलने वाला है। इसके लिए न्यायपालिका, इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाने वाली साहसी महिलाएं और वे संगठन जिन्होंने तमाम दवाबों, धमकियों के बावजूद इन औरतों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई, बधाई के पात्र हैं। यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के जीवन में एक नया उल्लास लेकर आया है। ❑

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। 23 अगस्त 2017 नईदुनिया में प्रकाशित।)

बोल कि लब आजाद हैं तेरे

नाइश हसन

फैज अहमद फैज ने बहुत पहले यह कहकर औरतों को झकझोरने की कोशिश की थी-बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तेरी है..। उनकी इस नज्म ने समाज पर गहरा असर डाला और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी औरतों को कह दिया बोल कि 'लब आजाद हैं तेरे...।' मंगलवार का दिन यकीनी तौर पर मुस्लिम समाज की आधी आबादी के लिए ईद के जश्न जैसा दिन रहा। यह उसके संघर्ष और उसकी खुशी को सलाम करने का दिन बना। वैसे तो मुस्लिम महिलाएं बहुत पहले से ही इस नाइंसाफी पर सवाल उठा रही थीं, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही थी। याद करें कि शाह बानो के साथ क्या हुआ था? तब जो तंगजहन ताकतें कर पाईं उसे आज की मुसलमान औरतों ने भी नकार दिया और देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी। शायद यही कारण है कि उनकी खुशी में सारा देश शिरकत कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने तीन तलाक को असंवैधानिक माना। इन तीन जजों का फैसला ही मान्य होगा। रही बात छह माह तक तीन तलाक असंवैधानिक रहने की तो आखिर जो चीज छह माह के लिए असंवैधानिक है वह छह माह बाद भी तो असंवैधानिक ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीन तलाक को नकार दिया जाना इस देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बहुत अलग होता है देखकर कुछ कहना और जी कर कुछ कहना। तमाम महिलाओं ने तीन तलाक की पीड़ा भोगी है। उन्हें घर से बेदखल किया गया और एक तरह से सड़क पर ला दिया गया। सदियों पुराने धार्मिक हवाले उसे डराते रहे और अपने काबू में रखने की कोशिश करते रहे। जब पीड़ित मुस्लिम महिलाओं की बात किसी ने नहीं सुनी तो वे बगावत पर उतर आईं। अब उन्हें मजहबी हवाले डरा नहीं रहे। धार्मिक किताबों और हवालों को दरकिनार करती वह अपने हक के लिए आवाज उठाने लगी है। पितृसत्ता की गहरी बुनियाद को उसने हिला दिया है।

तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के दौरान मुस्लिम महिलाओं ने कई ऐसी बातें कहीं जो दिल को भेद गईं- शादी के लिए तो वकील, गवाह लेकर आते हैं और तलाक बंद कमरे में कह कर चले जाते हैं। ...औरतों की ऐसी बातें मेरे भीतर की दुनिया के हजार टुकड़े कर देती थीं। मेरे पास उन्हें सांत्वना देने को कुछ नहीं रहता था। इस पूरी लडाई में औरत का संघर्ष जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया उस पर हमले भी बढते गए। गली, मोहल्लों, गांव-कसबों से लेकर बड़े शहरों में काम करने वाली औरतों ने भी ये हमले झेले। कभी

गाली गलौज, कभी फोन पर धमकी। रिपोर्ट दर्ज करने और मुकदमा कायम करने तक की नौबत भी आई, लेकिन औरत पीछे नही हटी। वह डटी रही। हालाँकि अदालतों ने मुस्लिम समाज के रूढ़िवादी तबके को आईना दिखाने वाले और मुसलमान औरतों को हक देने वाले फैसले बहुत पहले से देने प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन रूढ़िवादी समूहों ने न उन्हें कभी पढ़ने की कोशिश की और न ही समझने की।

1994 में रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के एक फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एकतरफा तीन तलाक को अवैध और कुरान के निर्देशों के खिलाफ बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही एक मामला अबरार अहमद बनाम शमीम आरा का जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अबरार अहमद के एकतरफा तीन तलाक देने को सिरे से खारिज कर दिया गया। औरतों के खिलाफ आए दिन आने वाले फतवों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक फैसला दिया, लेकिन उस वक्त भी रहनुमाओं की तरफ से एक शब्द भी फैसले के पक्ष में नहीं कहा गया। बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट ने भी जुबानी तीन तलाक को अमान्य करते हुए महिलाओं के हक में फैसले दिए, लेकिन मौलवियों की ओर से बस एक ही रटी रटाई आवाज आती रही कि तीन तलाक अल्लाह का कानून है। इसमें न बदलाव हुआ है और न ही हो सकता है। अगर केवल पिछले 20 सालों का इतिहास देखें तो पाएंगे कि समाज में बदलाव लगातार हो रहा है। मुस्लिम समाज का इतिहास देखें तो वर्ष 632 के बाद से ही बदलाव होता आ रहा है। ऐसे में यह कहने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है कि पहले के किसी कानून में बदलाव नहीं हो सकता। बदलाव हुआ है और आगे भी होता रहेगा।

दरअसल रहनुमाओं की एक बड़ी गलती यह रही कि तीन तलाक के मामले में उन्होंने शरीयत शब्द को दहशत की तरह फैलाया। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि आखिर शरीयत का मतलब क्या है? शरीयत का शाब्दिक अर्थ है 'अनुकरणीय मार्ग' अर्थात जो अनुकरण करने योग्य हो। अल्लाह के कुछ निर्देश अनिवार्य है, कुछ अपेक्षित हैं और कुछ वैकल्पिक हैं अर्थात जिनका पालन किया भी जा सकता है और नहीं भी। इस प्रकार अल्लाह ने मानवीय आचरण के लिए मार्गदर्शन दिया है। अल्लाह के इन्हीं निर्देशों को शरीयत कहते है। स्पष्ट है कि तीन तलाक मानवीय आचरण नहीं है। शरीयत कानून लोगों ने बनाए हैं और लोगों के

बनाए हुए कानूनों में हमेशा ही बदलाव की संभावना मौजूद रहती है। अल्लाह ने कहीं भी, कभी भी यह निर्देश नहीं दिया कि कोई कानून बदल ही नहीं सकता। अल्लाह ने तो यह कहा है कि देखो समझो और अक्ल का इस्तेमाल करो। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको स्वागत करने की जरूरत है। जरूरत इसकी भी है कि अपनी लड़ाई लड़ने के दौरान मुसलमान औरतों ने मौलवियों की तरफ से जो पीड़ा झेली उसे भुलाकर वे आगे बढ़ें। अभी इस तरह की कई अमानवीय प्रथाएं है, जिनके खिलाफ उन्हें लामबंद होना है। महिलाओं को अभी मुस्लिम पारिवारिक कानून को संहिताबद्ध करने की लड़ाई लड़नी है। तीन तलाक की तरह ही हलाला और मुता विवाह के खिलाफ भी खड़े होना है। ये भी इस्लाम पूर्व की प्रथाएं है। इन्हें पैगंबर मुहम्मद ने रोका था, लेकिन दुर्भाग्य से इस्लाम नाजिल होने के बाद भी समाज में कुछ कुप्रथाएं इस्लाम के नाम पर जारी रहीं और औरत उनका शिकार होती रही।

यह अभी हाल का मामला है जिसमें 5 लाख रुपये लेकर 13 साल की बच्ची की शादी 58 साल के आदमी से करा दी गई और वह भी इस्लाम के नाम पर। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के रुख के आगे इंतेहापसंद ताकतें हाशिए पर सिमटती नजर आई। चूंकि सभी धर्मों की महिलाएं किसी न किसी स्तर पर परिवार के भीतर पिस रही है और उनके साथ नाइंसाफी बरती जा रही है इसलिए परिवार के भीतर और बाहर महिला अधिकारों के प्रश्न को धार्मिक चिंताओं के दायरे से बाहर खींच कर मानवाधिकार के प्रश्न के रूप में स्थापित करना बेहद जरूरी है। औरतें खुद को समाज के हवाले नही करना चाहतीं, चाहे वे किसी भी धर्म की हों। ऐसी सभी परंपराएं जो औरत को इंसान मानने से ही इन्कार करती हों और भेदभाव पर टिकी हों उन्हें औरतें जमींदोज कर डालना चाहती है। वे सवाल कर रही है समाज से, व्यवस्था से। सुप्रीम कोर्ट से मिली सफलता यह यकीन दिलाती है कि हमारे-आपके प्रयासों से एक नई दुनिया मुमकिन है। ❑

(लेखिका मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ता एवं रिसर्च स्कॉलर है। 23 अगस्त 2017 को दैनिक जागरण में प्रकाशित।)

शाह बानो ने खोया-शायरा बानो ने पाया

राजीव सचान

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल यही नहीं कहता कि तलाक का यह तरीका असंवैधानिक और मुस्लिम महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि परोक्ष तौर से यह भी रेखांकित करता है कि तीन तलाक की पैरवी करने वाले लोग मुस्लिम समाज को पिछड़ेपन की गिरफ्त में जकड़े रहकर इस समाज का अहित ही कर रहे थे। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने की जरूरत इसलिए पड़ी, क्योंकि तीन तलाक का शिकार इंदौर की शाह बानो 1985 में जब गुजारा भत्ता की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया तो उस समय की सरकार इस फैसले को खारिज करने पर तुल गई।

शाहबानो के पति का तर्क था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वह केवल मेहर की रकम देने को बाध्य है और वह उसे दे चुके है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के तर्क नहीं माने और उसने शाहबानो को गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए। मुस्लिम समाज के नेताओं ने इसे अपने पारिवारिक और धार्मिक मामलों में दखल माना। उन्होंने विरोध जताना शुरू किया। पता नहीं कैसे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस नतीजे पर पहुंच गए कि मुस्लिम नेताओं और मौलवियों-मौलानाओं की बात सही है। उन्होंने एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया। राजीव गांधी के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस के भीतर से सिर्फ एक सशक्त आवाज उठी। यह थी आरिफ मोहम्मद खान की। राजीव गांधी को आरिफ की असहमति रास नहीं आई और उन्हें मंत्रिपरिषद से बाहर होना पड़ा और उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निष्प्रभावी होने का परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम समाज ने सामाजिक सुधारों और साथ ही तलाकशुदा महिलाओं की बेहतरी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया।

यह अकल्पनीय है कि 31 साल पहले शाह बानो के साथ नाइसांफी में सत्तापक्ष समेत कई राजनीतिक दल शामिल थे। यदि आज किसी अन्य दल की सरकार होती तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी होता, अधिकांश राजनीतिक दल शायद वैसा ही व्यवहार करते जैसा उन्होंने 1985-86 में किया था। इस पर गौर करें कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार के इस मत से सहमत नहीं थे कि तीन तलाक बंद होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस

मामले में दखल देना चाहिए। कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल ने तीन तलाक के समर्थन में यहाँ तक दलील दी थी कि यह 14 सौ साल पुरानी प्रथा है और यह आस्था का वैसा ही मामला है जैसे हिंदू यह मानते हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था।

तीन तलाक के मसले को आस्था से जोड़ने वाले यही कपिल सिब्बल अब भले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना कर रहे हों, लेकिन जब इस मामले की सुनवाई हो रही थीं तो उनकी दलीलें मौलानाओं को मात देने वाली थीं। चूंकि तथाकथित सेक्युलर राजनीतिक दलों ने 1986 में शाह बानो को गुजारा भत्ता देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी कर दिया इसलिए वह इंसाफ हासिल किए बगैर सालों तक गुरबत भरी जिंदगी बिताने के बाद चल बसीं। उनके पति वकील थे, लेकिन पत्नी से मुकदमा हारने के अपमान में उन्होंने दोबारा वकालत नहीं की। 1985-86 में जो शाह बानो को हासिल नहीं हुआ वह 2017 में शायरा बानो और उनकी जैसी यानी तीन तलाक का शिकार अन्य अनेक महिलाओं को हासिल होने जा रहा है।

तीन तलाक पर आए इस फैसले का सबसे अधिक श्रेय शायरा बानो को ही जाता है। उत्तराखंड के काशीपुर की शायरा बानो को 2015 में पति ने जबरन मायके भेजा और फिर कुछ वक्त बाद उन्हें तीन तलाक सुना दिया। 2016 में वह न्याय मांगने सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। उन्होंने अपनी याचिका में तीन तलाक के साथ-साथ बहुविवाह और निकाह हलाला को भी चुनौती दी थी। कुछ समय बाद ऐसी ही कुछ और याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। विडंबना यह रही कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तीन तलाक को गलत तो मानता रहा, लेकिन उसे अमान्य करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने वैसा ही रूढ़िवादी रवैया अपनाया जैसे एक समय विधवा विवाह या फिर हिंदू कोड बिल के मामले में कुछ हिंदू संगठनों ने अपनाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तीन तलाक पर ही फैसला सुनाया है, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि यह फैसला मुस्लिम समाज के साथ अन्य समाजों को भी सुधारों की ओर अग्रसर करेगा।

किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि केवल मुस्लिम समाज को ही महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। कमोबेश ऐसी ही जरूरत अन्य समाजों को भी है, क्योंकि अपने देश में महिलाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं। लिंग अनुपात में असंतुलन से लेकर महिलाओं के साथ होने वाले अपराध यही बताते हैं कि उन्हें वह सम्मान और आदर हासिल नहीं जिसकी कम से कम इस 21वीं सदी में वे हकदार हैं। किसी देश का समाज कितना सभ्य है, इसका पता वहाँ की महिलाओं की स्थिति से कहीं बेहतर ढंग से चलता है। महिलाओं की स्थिति के लिए समाज के रुख-रवैये के साथ-साथ उसे सबसे अधिक प्रभावित करने वाली राजनीति जिम्मेदार है।

आजादी के पहले और एक हद तक आजादी के कई वर्षों बाद तक भी समाज सुधार राजनीति का हिस्सा था, लेकिन जैसे-जैसे

वोट बैंक की राजनीति ने जड़ें जमाईं, राजनीतिक दलों ने समाज सुधार के एजेंडे को अपनी राजनीति से बाहर कर दिया। शायद ही कभी किसी दल के घोषणापत्र में किसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ कुछ लिखा मिलता हो। बहुत पुरानी बात नहीं जब कई नेता उन खाप पंचायतों के साथ खड़े दिख रहे थे जो महिलाओं के खिलाफ अजीबोगरीब फैसले सुनाने के लिए जानी जाती हैं। यह भी चंद दिनों पहले की बात है कि घूंघट के गुण गाए जा रहे थे।

अभी हाल में जब उत्तर प्रदेश में लड़कियों को छेड़खानी से बचाने के लिए एंटी रोमियो दस्ता सक्रिय हुआ तो तमाम कथित विद्वान इस चिंता में दुबले होते दिखे कि आखिर बेचारे रोमियो ने क्या किया है? यह सही है कि आज करीब-करीब सभी राजनीतिक दल तीन तलाक खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सामाजिक सुधार उनकी प्राथमिकता से बाहर है। वे देश बनाने की बड़ी-बड़ी बातें करते है, लेकिन यह समझने से इन्कार करते है कि अगर समाज का सही तरह से निर्माण हो जाए तो देश अपने आप बन-संवर जाएगा। ❑

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडीटर है। 23 अगस्त 2017 दैनिक जागरण में प्रकाशित)

नारी समानता की कठिन राह

तसलीमा नसरीन

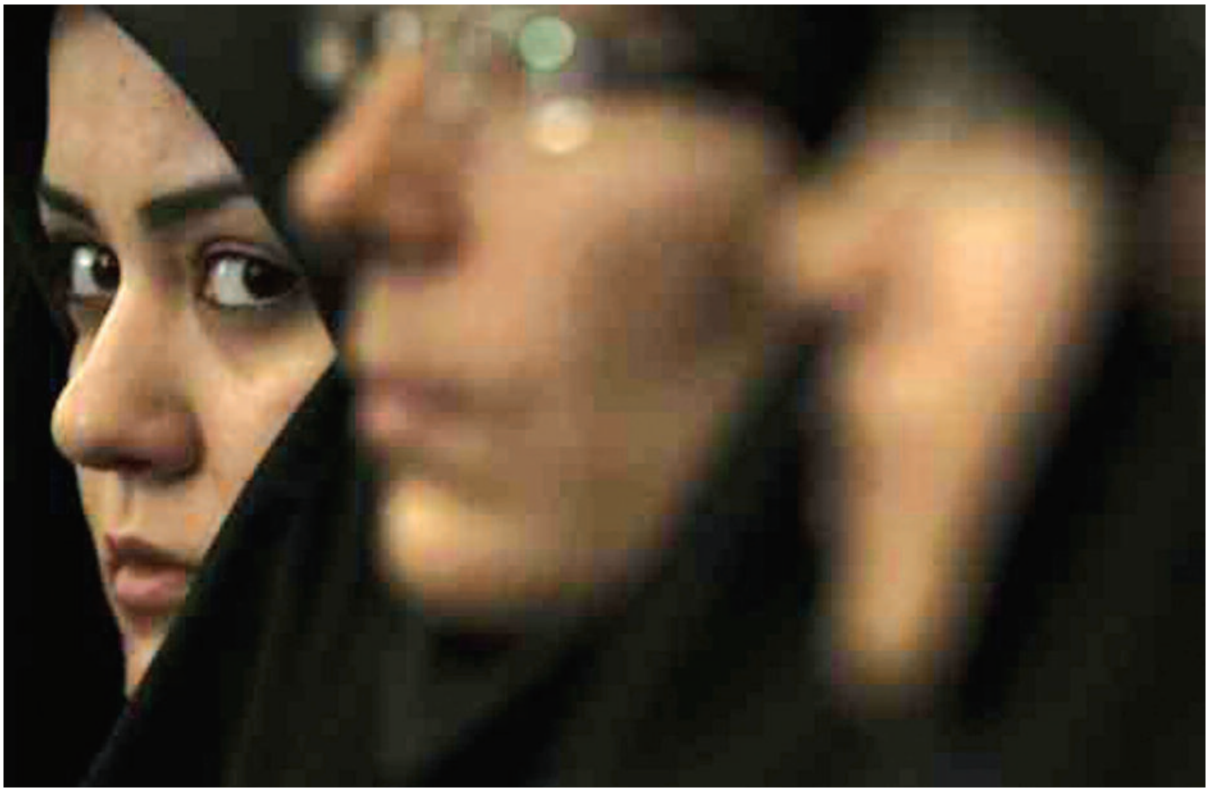

सुप्रीम कोर्ट के पाँच में से तीन न्यायाधीशों ने एक बार में तीन तलाक देने के खिलाफ अपना स्पष्ट फैसला सुना दिया और इसी के साथ तीन तलाक की यह प्रथा खत्म हो गई। करीब-करीब सभी लोग मान रहे हैं कि यह प्रथा खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार मिल जाएगा। कई लोगों को पता नहीं है कि यदि पति तलाक देना चाहेगा तो वह एक झटके में तीन बार तलाक बोलकर तो तलाक नहीं दे पाएगा, लेकिन वह नगर पालिका के चेयरमैन अथवा इसी तरह के किसी जन प्रतिनिधि को पत्र भेजकर यह घोषणा कर सकता है कि वह पत्नी को तलाक देने की घोषणा कर रहा है। सिर्फ पत्र मिलने के कुछ दिन बाद ही तलाक हो जाएगा। सरकारी दस्तावेजों में उसका नाम दर्ज हो जाएगा कि वह अब अविवाहित है। किसी भी पुरुष के लिए ऐसा करना कठिन कार्य नहीं होगा। जो व्यक्ति पत्नी से प्रेम नहीं करता और वह उसे तलाक देना चाहेगा तो वह आज हो या कल, किसी भी समय तलाक दे सकता है। मौखिक रूप से नहीं तो लिखित रूप में दे देगा। मौखिक तलाक अवैध है तो लिखित रूप से तलाक देना वैध है। एक झटके में तीन तलाक अवैध हो जाने से पुरुषों को असुविधा नहीं होगी। एक तरीके से देना संभव नहीं होगा तो वह दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा। पति पर आश्रित महिलाएं तलाक को लेकर बड़ी भयभीत रहती हैं। भारतीय मुस्लिम इस पर काफी यकीन करते हैं कि वे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी मुस्लिमों से काफी सभ्य, शिक्षित और धर्मनिरपेक्ष हैं। यदि ऐसा है तो फिर वे धर्म के नाम इतने कठोर कानूनों को क्यों मान रहे हैं?

भारतीय मुस्लिम धार्मिक कानून से बँधे हुए हैं। इससे नारी के समानता के अधिकारों का हनन हो रहा है और वे जड़ता से पीड़ित हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दशकों पहले एक बार में तीन तलाक को खत्म किया जा चुका है। उनके कानूनों में संशोधन किया गया है। अब तीन बार तलाक बोलने से तलाक नहीं होता। अगर किसी को तलाक देना होता है तो सरकारी दफ्तरों में लिखित तलाक का प्रमाण देना होता है। तलाक देने का अधिकार सभ्यता विरोधी नहीं है, लेकिन अक्सर ही देखा जाता है कि पुरुषों को तो

तलाक देने का अधिकार है पर महिलाओं को यह अधिकार नहीं है। यह खराब चलन है। इसे तत्काल खत्म करने की जरूरत है। जिस तरह दो लोगों को पंसद और सहमति से शादी करने का अधिकार है उसी तरह दोनों को अपने हिसाब से तलाक देने का भी समान अधिकार है। मैं कभी भी तलाक के विरोध में नहीं रही। यदि कोई तलाक देना चाहता है तो वह चाहे पति हो या पत्नी, दोनों ही एक दूसरे को दे सकते हैं। तलाक की प्रक्रिया को जटिल बना कर लोगों को परेशान करना उचित नहीं है। मैंने जब तलाक दिया था तो उस समय पद्धति काफी सरल थी। नोटरी पब्लिक के पास जाकर कहा कि मैं अमुक व्यक्ति को तलाक दूंगी। बस नोटरी पब्लिक के कारिंदे ने मुझे एक कागज पर साइन करने को कहा। साइन करने और कुछ रुपये देने के बाद मैं चली आई और तलाक हो गया। पूरी प्रक्रिया चंद मिनटों की रही। ऐसा ही होना चाहिए। बरसों-बरस अशांति के बीच जीने की कोई जरूरत नहीं है।

भारतीय मुस्लिम कानून में विवाह, तलाक, संतान के दायित्व, उत्तराधिकार आदि में महिलाओं को समान अधिकार नहीं है। समान अधिकार के लिए विभिन्न दीवानी कानून मानने को लेकर मुस्लिम समाज को आपत्ति है। अगर इतना लंबा वक्त तीन तलाक खत्म करने में लगा तो अन्य जो कुप्रथाएं और नियम हैं उन्हें समाप्त करने में कितने वर्ष और लगेंगे? तीन तलाक के बाद बहुविवाह भी बंद होना चाहिए। उत्तराधिकार संबंधी मसलों को भी समानता के आधार पर तय किया जाना चाहिए। अच्छा कार्य जितना जल्द हो, बेहतर है। क्या सातवीं सदी के कानूनों को 21वीं सदी में बदलने के लिए और वक्त देने का कोई मतलब है? भेदभाव करने वाले सभी कानून समाप्त कर समानता के अधिकार वाले कानूनों को मानना और लागू करना ही बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य है। क्या मुस्लिम भेदभावजनक कानून बदलना चाहते हैं?

यह सवाल करने पर अधिकांश से उत्तर मिला, नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि उन्हें विभेद से प्यार है, परंतु एक गणतांत्रिक देश में दकियानूसी और भेदभाव वाले कानूनों का कोई स्थान नहीं हो सकता। समस्या यह है कि यह बात कौन किसे समझाए? मुस्लिम पुरुष भेदभाव परक कानूनों को बदलना चाहेंगे तो वे बदलेंगे और नहीं चाहेंगे तो नहीं। भारत में ऐसा ही होता है और इसी वजह से

मुस्लिम महिलाएं एक गणतांत्रिक देश में मानवाधिकार से वंचित हैं। मैंने मानवाधिकार कर्मियों को इस मुद्दे पर कभी भी मुखर नहीं देखा। तीन तलाक खत्म होने से मुस्लिम महिलाओं को सही में कोई लाभ नहीं होगा। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होने पर वे सिर ऊँचा कर नहीं चल पाएंगी। शिक्षा और आत्मनिर्भरता सभी के लिए जरूरी है। ये सबसे अधिक आवश्यक महिलाओं के लिए है, क्योंकि इन दोनों के अभाव में वे ही अधिक प्रताड़ित हो रही हैं।

कई लोगों का मानना है कि तीन तलाक के खत्म होने से महिलाएं पति की पिटाई खाकर भी पति और संतान के लिए दासी बनीं रहेंगी, क्योंकि उनके लिए पति के अलावा कोई मददगार नहीं है। भारत में अधिकांश लोग तलाक विरोधी हैं। पति-पत्नी में तलाक होने पर क्या महिला अपनी औलाद लेकर जंगल में जाएगी? वहां भी तो जगह नहीं है और इसीलिए वे आत्महत्या करती हैं। तमाम महिलाएं पति की पिटाई खाकर भी निरीह बनकर साथ रहने को बाध्य होती है। यह समाधान नहीं है, बल्कि समस्या है। इसका एक ही समाधान है कि शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के लिए उन्हें पुरुष प्रधान समाज को अंगूठा दिखाकर अपने हिसाब से अर्थ अर्जन करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इससे मुक्ति नहीं मिलेगी।

एक समस्या से दूसरी समस्या जन्म लेती है। जो सातवीं शताब्दी के कानूनों के हिसाब से 21वीं सदी में भी चलना चाहते हैं वे निश्चित ही गलत हैं। ऐसे गलत लोगों को नाराज नहीं करने के कारण ही तुष्टीकरण की राजनीति और नारी विरोधी धार्मिक कानूनों की वकालत होती है। एक बार में तीन तलाक की प्रथा खत्म होना उस विशाल पत्थर को एक मामूली धक्का देने जैसा है जो हिला तो है, लेकिन खिसका नहीं है। एक झटके में तीन तलाक खत्म होना पहली पहल है। एक शांत तालाब में एक तरंग उठी है। चूंकि एक-एक कदम आगे बढ़ने में वक्त लगता है इसलिए सच्ची समानता लाने वाला जन आंदोलन शायद ही देखने को मिले। ❑

(लेखिका जानी-मानी साहित्यकार है। 24अगस्त 2017 को दैनिक जागरण में प्रकाशित)

फैसले से मजबूत होगी मुस्लिम महिला

जाहिदा हिना

मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को सलाम करती हूँ कि उसने तीन तलाक के खिलाफ और औरत के हक में इतना बड़ा फैसला दिया। इसी अदालत ने एक फैसला तीन दशक पहले भी दिया था। वह भी एक औरत के हक में था, तमाम औरतों के हक के लिए था। लेकिन दुर्भाग्य कि इतना उम्दा फैसला लागू नहीं हो सका। मजहबी रहनुमा नहीं चाहते थे कि मुसलमान औरत मजबूत बने, सो उन्होंने इतना मजबूर किया कि राजनीति ने उसे लाना मुनासिब नहीं समझा और वह कानून खत्म हो गया। आज एक और बड़ा फैसला आया है। वह फैसला सिर्फ एक नजरिये से मुसलमान औरत को मजबूत करता। लेकिन यह फैसला मुसलमान औरत को पूरी ताकत देने वाला है। अब मामला सरकार के पास है कि वह इस मसले पर कानून बनाए और मुस्लिम औरत को उसके सबसे बड़े हक से नवाजे।

दरअसल यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। आखिर मुस्लिम औरत को मजहब के नाम पर नाइंसाफी क्यों मिले? वह जब-जब आवाज उठाती है, दीन की बात सामने कर दी जाती है। दीन के नाम पर लड़ाई लड़ी जाने लगती है। उलेमा इसकी ठेकेदारी करने लगते हैं। ऐसा क्यों हो? यह हक उन्हें किसने दिया? दरअसल अब वक्त आ गया है, जब मुस्लिम महिला अपने हक के लिए खुलकर सामने आए। इसकी शुरुआत हो चुकी है। यह लड़ाई औरत की ही लड़ाई है और उसी को लड़नी पड़ेगी। उलेमाओं ने हमेशा मजहब की ठेकेदारी की है। वे मजहब का अपने हक में, अपनी सुविधा से इस्तेमाल करते रहे हैं। औरत बस इसका शिकार होती रही है। अब यह सब बंद होना चाहिए।

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दो के मुकाबिल तीन वोटों से यह फैसला दिया। मैं उन तीन जजों के साथ हूं, जिन्होंने मुस्लिम औरतों के दर्द को समझा। लोग कह सकते हैं कि भारतीय औरत के हक या वहाँ के फैसले पर मुझे क्यों बोलना चाहिए। लेकिन औरत, सिर्फ औरत होती है। भारत की हो या पाकिस्तान की या किसी दूसरे मुल्क की। जब तीन तलाक सामने आता है, तो वह सिर्फ एक बेबस मुसलमान औरत होती है और कुछ नहीं। इसलिए अब औरतों के हक के लिए बड़ी आवाज उठनी चाहिए। यह आवाज औरतें उठा रही है, वें उठाएगी भी। लेकिन इसे पूरे समाज की आवाज बननी चाहिए। सोचा जाना चाहिए कि अगर दुनिया के तमाम मुल्कों, इस्लामी देशों में यह बहुत पहले हो गया, तो भारत में इतना वक्त क्यों लगा? शायद इसका कारण इंडिया की बनावट हो। जुगराफिया के मामले में नहीं। राजनीति के मामले में। जिस तरह शाह बानो फैसला डाइल्यूट हो गया, उससे यहाँ की राजनीति के बारे में सोचा जा सकता है। वहाँ पाकिस्तान में बैठकर हम बहुत दूर तक तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो तय है कि यह पहले भी हो सकता

था। कहने में गुरेज क्यों हो कि भारतीय हुक्मरान अपने वोट की खातिर सख्त कदम उठाने से डरते रहे। राजनीति हमेशा अपने नजरिये से चीजों को देखती है, ढालती है। इस खतरे से बचना होगा।

दरअसल हमारे समाज में वोट बैंक टूटने के डर से बहुत सारे काम नहीं हो पाते। हो सकता है कि यह सोच सामने आए कि मौजूदा हुकूमत और उसे चलाने वाली पार्टी की राजनीतिक जीत हुई है, लेकिन हमें सोचना होगा कि इस फैसले के साथ शाह बानो जैसा खेल नहीं खेला जाएगा। मुसलमान औरत को भी किसी मुगालते में आने की जरूरत नहीं है। उसे राजनीति के जाल में नहीं आना चाहिए। उसके लिए असली मसायल उसका हक है। लेकिन उसे राजनीति के नफे-नुकसान पर भी नजर रखनी होगी। उसे समझना होगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की पढ़ी-लिखी महिलाओं पर है। जब ये एकजुट होकर, महिलाओं के हकों के रेशे-रेशे को खोलेंगी, तो बात अपने आप बनेगी। यह लंबी लड़ाई है। एक दिन में कुछ नहीं होता। बहुत करीने से सोचना होगा, रणनीति बनानी होगी, राजनीति से बचना होगा, तभी स्थायी समाधान निकलेगा। फैसले के साथ उभरी राजनीति के झाँसे से औरत को खुद को बचाना होगा। मैं भाजपा के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन एक बड़े मामले में सिर्फ इसलिए राजनीति नहीं होनी चाहिए कि आप उसके विचारों के बरखिलाफ हैं। औरत के हक की इस बड़ी लड़ाई में तो सभी दलों को साथ होना चाहिए।

एक ख्याल यह भी है कि कहीं यह कदम कॉमन सिविल कोड की राह तो नहीं खोलेगा। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। मुसलमान औरत यह क्यों भूले कि वह हिन्दुस्तान में है, हिन्दुस्तान की है। उसे वहाँ के हर कानून का फायदा मिलना ही चाहिए। उसे अपने कानूनी हक पता भी होने चाहिए। उसे पता होगा, तभी तो वह कठमुल्लों की राजनीति को समझकर, अपना इस्तेमाल होने से रोक पाएगी और तभी आगे बढ़.पाएगी। अपनी जिंदगी खुलकर जी पाएगी। भारतीय औरत अब पहले वाली औरत नहीं रही। वहाँ की मुसलमान औरत भी न सिर्फ अब अपने हक से वाकिफ है, बल्कि मुल्ला-मौलवियों के फरेब को भी समझने लगी है। वह बेचैन है अपनी सीरत बदलने के लिए। तो ऐसे में औरत तो सोचेगी ही, मुस्लिम मर्दों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। सोशल प्लेटफॉर्म पर भी वह सक्रिय दिखी है। मुस्लिम महिलाएं जिस तरह से अपनी बात कह रही हैं, उसका स्वागत होना चाहिए। इस फैसले के बाद उसके जेहन में आई जुंबिश को, मर्दों को समझना होगा। उन्हें समझना होगा कि एक नई दुनिया बनानी है, तो यह औरत को साथ लेकर ही हो सकता है।

नई दुनिया का सपना औरत को दबाकर, उसके अरमानों को कुचलकर पूरा नहीं हो सकता। असल जिम्मेदारी मुस्लिम नौजवानों के कांधे पर है। नई पीढ़ी को समझना होगा कि औरत क्या है? उसका हक क्या है और यह भी कि औरत को न समझकर, उसके हकों पर पानी डालकर वह भी तरक्की नहीं कर सकता। मुस्लिम औरत ने गुरबत देखी है। उसने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सिलाई-कढ़ाई की है, लिफाफे बनाए हैं, मसाले कूटे हैं। खुद पढ़ी, दूसरों को पढ़ाया भी है। यानी जाहिली से जहीनीयत तक का लंबा सफर उसने तय किया है। यह उसके जज़्बे और जुनून का नतीजा है। मर्द को तो कभी कोई लड़ाई न लड़नी पड़ी, न उसने कभी लड़ी। औरत अपनी लड़ाई लड़कर यहां तक आई है। वह आगे भी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। आज के नौजवानों को बस उसकी लड़ाई को समझना होगा। यह एक नई राह खुली है। इस राह की रोशनी में चलना होगा। ❑

(लेखिका प्रसिद्ध पाकिस्तानी लेखिका हैं ये उनके अपने विचार हैं। हिंदुस्तान लाइव 22 अगस्त, 2017 को प्रकाशित।)

तीन तलाक बैनः ये फैसला नहीं, 1400 सालों के अन्याय और शोषण का अंत है

विवेक आनंद

तीन तलाक पर मेरी एक सहयोगी ने कहा कि बताइए पाकिस्तान में इस पर बैन हैं और हम हैं कि इस पर अभी तक एकमत नहीं हो पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पाँच सीनियर जजों की बेंच तक इस पर एकमत नहीं थी। इस बेंच के तीन जजों ने इसे असंवैधानिक करार दिया लेकिन दो जज, जिसमें चीफ जस्टिस जेएस खेहर भी शामिल हैं, इसे असंवैधानिक मानने को तैयार नहीं थे। चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर का मानना था कि चूंकि सुन्नी समुदाय में तलाक-ए-बिद्दत (इंस्टैंट ट्रिपल तलाक) हजार साल से चली आ रही है इसलिए कोर्ट का इस मामले में दखल देना ठीक नहीं है, ये सुन्नी समुदाय का आंतरिक मसला है और मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़ा है। सवाल है कि कोई परंपरा हजार अगर दो हजार साल से भी चली आ रही हो तो क्या उसके सही या गलत होने को चैलेंज नहीं किया जा सकता? क्या कोर्ट को उस परंपरा के नतीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला नहीं देना चाहिए? क्या कोर्ट को ऐसे मामलों में धार्मिक सोच के दायरे से बाहर निकलकर नहीं सोचना चाहिए? इस आधार पर देखा जाए तो सती प्रथा और दहेज की परंपरा को भी सही ठहाराया जा सकता है। अगर किसी समुदाय की महिलाओं के साथ परंपरा के नाम पर ज्यादती हो रही है तो उसे क्यों नहीं खत्म किया जाना चाहिए? क्या धर्म की आड़ लेकर इसे जायज ठहराने की कोशिशें खुद अपने ही नागरिकों के साथ अत्याचार नहीं है? पाकिस्तान ने 1961 में तीन तलाक पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश में 1971 में नए देश के जन्म के साथ ही तीन तलाक वहाँ बैन है। श्रीलंका ने 1951 में तीन तलाक को अमान्य करार दे दिया। ईरान से लेकर सीरिया तक ने तीन तलाक को वर्षों पहले अवैध करार दे दिया है। हम अब भी इस बहस में पड़े हैं कि मुसलमानों के इस मसले पर क्या रुख अपनाया जाए।

धर्म की आड़ में महिलाओं पर अत्याचार गलत

धर्म की आड़ देकर मुस्लिम महिलाओं के साथ जो ज्यादती वर्षों से चली आ रही है उसको खत्म करने में कोर्ट तक एक राय नहीं बना पाता है। वो भी तब जब पाँच जजों की बेंच में हर धर्म के जज शामिल किए गए हों ताकि ये लोग निष्पक्ष होकर फैसला ले सकें। तीन तलाक के मामले में मंगलवार को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके लिए छह याचिकाएं लगाई गई थीं। ये छह याचिकाएं

डालने वाली महिलाओं की कहानी सुनकर ही समझा जा सकता है कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं कि जिंदगी को किस तरह से नर्क बना रहा है। सिर्फ तीन बार तलाक बोलकर किसी की महिला की जिंदगी को नर्क बना देने को किस तरह से न्यायसंगत माना जा सकता है ये समझ से परे बात है। तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली अहम याचिका डालने वाली महिला शायरा बानो हैं। शायरा बानो की कहानी इस बात को समझने के लिए काफी है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। 36 साल की शायरा बानो के पति ने 15 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद एक झटके में तीन तलाक कहकर उससे छुटकारा पा लिया। उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो की शादी के बाद कई बार अबॉर्शन हुआ, इंफेक्शन की वजह से वो गंभीर रूप से बीमार हुई लेकिन पति ने बिना उसकी हालत की परवाह किए तीन तलाक बोलकर मर्द होने का इस्लामी फायदा उठा लिया। क्या इस मामले से ही ये नहीं समझा जा सकता कि किसी भी तरह से तीन तलाक को जायज ठहराना सही नहीं है?

याचिकाकर्ताओं की दास्तानें

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली दूसरी महिला है इशरत जहाँ। इशरत को उसके पति ने फोन पर ही तीन तलाक दे दिया. इशरत के बच्चों को अपने साथ ले गया। इशरत की शादीशुदा जिंदगी इस्लामी रवायत के हाथों बलि चढ़ गई, हावड़ा में वो अपने किसी दूर के रिश्तेदार के भरोसे किसी तरह से अपनी जिंदगी काट रही है। रामपुर की रहने वाली गुलशन परवीन भी एक याचिकाकर्ता है। उसकी कहानी भी शायरा बानो और इशरत जहाँ की तरह ही है। जयपुर की रहने वाली आफरीन रहमान भी तीन तलाक की सताई एक याचिकाकर्ता हैं तो सहारनपुर की रहने वाली अतिया साबरी ने भी सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि औरतों पर जुल्म करने की छूट देने वाले इस इस्लामी रवायत पर पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा एक याचिकाकर्ता के तौर पर भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (BMMA) नाम का एक संगठन भी है। सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान इस संगठन का कहना था कि अगर अल्लाह की नजर में मर्द और औरत बराबर हैं तो फिर तीन तलाक के नाम पर भेदभाव क्यों किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस मामले में पैरवी करने उतरे सीनियर वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि तीन तलाक का मसला धार्मिक विश्वास का मसला है और धार्मिक विश्वास के मसले पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अब तक जिंदा रखा मुद्दा

उन्होंने उदाहरण सहित कोर्ट को समझाया था कि अगर भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे, ये एक धार्मिक विश्वास है और उसे संविधान के दायरे में रखकर चुनौती नहीं दी जा सकती है तो फिर तीन तलाक के मसले पर भी कोर्ट को ऐसा ही रुख रखना चाहिए। इस्लाम में 1400 सालों से जो प्रथा चली आ रही है उसे गैर-इस्लामी नहीं कहा जा सकता। क्या राम का जन्म अयोध्या में हुआ है इस धार्मिक विश्वास से किसी महिला और पुरुष के साथ नाइंसाफी हो रही है? और अगर ऐसा होता है तो इस धार्मिक विश्वास से अलग हटकर कोर्ट को किसी भी तरह का फैसला देने में क्यों आपत्ति होनी चाहिए? रामजन्म भूमि को धार्मिक विश्वास से जोड़कर मामले को अब भी अदालत की चौखट में ले जाकर भी एक राजनीतिक मसले के बतौर जिंदा रखा गया है। दरअसल तीन तलाक के साथ भी यही साजिश वर्षों से चली आ रही है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को बिना किसी लीपापोती के सभी को स्वीकार करना चाहिए। ❑

(फर्स्टपोस्ट हिंदी 23, अगस्त 2017 पर प्रकाशित।)

तीन तलाक: राजीव गाँधी के एक फैसले ने सेकुलरिज्म की धज्जियाँ उड़ा दी थीं

अजय सिंह

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक ऐतिहासिक भूल को सही किया गया है। ऐसा करने में देश को तीन दशक से ज्यादा का वक्त लग गया। डर तो ये था कि कहीं इतिहास अपनी भूल को फिर से न दोहरा दे। मगर अच्छी बात रही कि ऐसा नहीं हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर से अपने फैसले से साबित किया है कि वो नागरिकों की निजी स्वतंत्रता के हक में है और कट्टरपंथ के खिलाफ है। अदालत ने ऐसा ही फैसला 1985 में उस वक्त दिया था, जब शाह बानो के मामले में तीन तलाक को अवैध करार दिया था। उस वक्त जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ ने अपने फैसले पर जोर देते हुए कहा है कि ये फैसला धार्मिक कट्टरता के खिलाफ है। 1985 में जब ये फैसला आया था, तो देश सियासी उठापटक के दौर से गुजर रहा था। एक साल पहले ही प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या हो गई थी। इसके बाद भड़के सांप्रदायिक दंगों में दिल्ली से लेकर बोकारो, कानपुर और दूसरे शहरों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। इंदिरा गाँधी की सियासी विरासत दिलकश मुस्कान वाले उनके बेटे राजीव गाँधी ने सम्भाली थी। यूँ तो वो पहले ही युवराज घोषित कर दिए गए थे। मगर इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद हुए चुनावों से राजीव गाँधी की ताजपोशी पर लोकतंत्र की मुहर भी लग गई थी। इसी माहौल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो यूँ लगा कि ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तरक्कीपसंद मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाथों हाथ लिया था। लोगों ने इस फैसले को महिलाओं को बराबरी का हक देने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था। ज्यादातर लोगों ने इसे धार्मिक मामला नहीं माना था। सरकार बनने के बाद राजीव गाँधी ने मुस्लिम मुद्दों पर कांग्रेस और सरकार का पक्ष रखने की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद साथी आरिफ मोहम्मद खान को दी थी। संसद में बहस के दौरान आरिफ मोहम्मद खान ने जोर-शोर से मुसलमानों के हक की बात की। मुस्लिम समुदाय के तरक्कीपसंद लोगों का पक्ष रखा। लेकिन राजीव गांधी कट्टरपंथियों के दबाव में आ गए। उन्होंने 1986 में संसद से कानून पारित करवाकर शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इससे नाखुश आरिफ मोहम्मद खान ने राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक शेर के जरिए अपना सवाल राजीव गांधी के सामने रखा-

"तू इधर-उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा

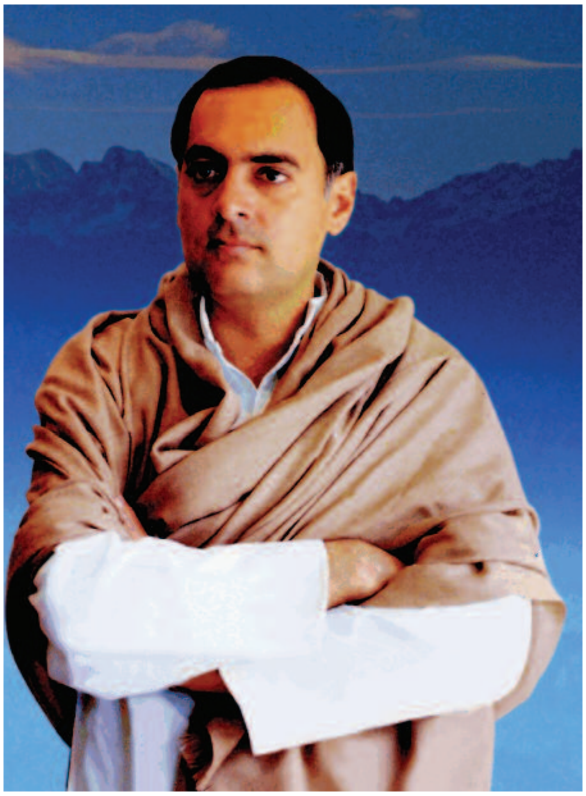

मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।"

आरिफ मोहम्मद खान ने आरोप लगाया था कि राजीव गाँधी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए। वो आज भी मानते हैं कि राजीव गाँधी का वो फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। उसने तरक्कीपसंद मुसलमानों के हाथ-पैर बांध दिए। उस गलती को सुधारने में तीस साल से ज्यादा वक्त लग गया। उस फैसले के बाद आरिफ ने राजीव गाँधी से अलग चलने का फैसला किया। मगर आज जब हम पलटकर उस वक्त को, उस फैसले को याद करते हैं, तो लगता है कि अगर राजीव गाँधी ने शाह बानो पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पलटा होता, तो अयोध्या-राम जन्मभूमि आंदोलन को इतना समर्थन नहीं मिला होता। उस दौर को याद करके बहुत से लोग कहते हैं कि राजीव गाँधी के फैसले की वजह से ही देश में हिंदू राष्ट्रवाद को

फलने-फूलने का मौका मिला। अगर आपको इस बात पर कोई शक हो तो लालकृष्ण आडवाणी से पूछ लीजिए। वो आपको एक किस्सा बताएंगे। शाह बानो पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजीव गाँधी मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में थे। कट्टरपंथी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने धार्मिक मामलों में दखलंदाजी बता रहे थे। उस वक्त एक पूर्व आईएफएस अफसर सैयद शहाबुद्दीन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शहाबुद्दीन ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए मुस्लिम कट्टरपंथियों को एकजुट करना शुरू कर दिया था। इसी माहौल में राजीव गाँधी, लालकृष्ण आडवाणी से मिलने पहुंचे और उनसे सलाह मांगी। आडवाणी ने राजीव गांधी को सलाह दी कि वो मौलवियों और कट्टरपंथियों के आगे न झुकें। अगर राजीव गाँधी ने आडवाणी की सलाह मानी होती, तो देश का सियासी नक्शा आज कुछ और होता। लेकिन राजीव गाँधी ने आडवाणी की सलाह को अनसुना कर दिया। उन्होंने संसद के जरिए अदालत का फैसला पलट दिया। भारी बहुमत के चलते राजीव गाँधी ने विपक्ष के ऐतराजों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद राजीव गाँधी एक के बाद एक गलती करते चले गए। वो कभी मुस्लिम तो कभी हिंदू कट्टरपंथियों के आगे झुकते गए। शाह बानो प्रकरण की वजह से नाराज हिंदुओं को मनाने के लिए राजीव गाँधी ने 1986 में अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया। इसके बाद उन्होंने विवादित जगह पर भूमि पूजन की इजाजत भी दे दी। इसमें कोई शक नहीं कि राजीव गाँधी ने कांग्रेस की बर्बादी की बुनियाद रख दी थी। संघ, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद का विस्तार और भारतीय राजनीति के एक ध्रुव के तौर पर उनकी जगह अगर आज है, तो वो राजीव गाँधी की वजह से है। उस वक्त से ही हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति करने वालों को सुनहरा मौका मिल गया था। 2 अगस्त को ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शाह बानो मामले पर अदालत की राय पर फिर से मुहर लगा दी है। इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं, जब हम ये सोचने को मजबूर हुए हैं कि अगर ऐसा नहीं होता, तो क्या होता? तो अगर उस वक्त राजीव गांधी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने नहीं टेके होते। अगर उन्होंने कोर्ट का आदेश लागू होने दिया होता, तो भारतीय राजनीति की दशा-दिशा कुछ और ही होती। आज जिस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है, वैसा शायद नहीं होता। बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि का विवाद आज जिस मोड़ पर है, शायद वैसा नहीं होता। शायद कांग्रेस आज जिस हालत में है, उस हालत में नहीं होती। वो आज भी भारत की राजनीति के केंद्र में होती। ❑

(24 अगस्त 2017 फर्स्टपोस्ट हिंदी पर प्रकाशित।)

कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के गले नहीं उतरा है तीन तलाक़ वाला फैसला

अमित अरोड़ा

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चाहे तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक घोषित कर दिया हो और उस पर रोक लगा दी हो, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन अब भी इस फ़ैसले के खिलाफ खड़े हैं। जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के नेता और पश्चिम बंगाल के सर्वशिक्षा व ग्रंथागार राज्य मंत्री मौलाना सिद्दिकुल्ला चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय और केंद्र सरकार को मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह इस फ़ैसले को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) को असंवैधानिक घोषित करने के बावजूद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एमपीएलबी) ने 24 अगस्त को दुबारा न्यायालय के समक्ष तीन तलाक को लेकर एक बार फिर अपना रूख स्पष्ट करने को कहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एमपीएलबी) ने कहा कि बहुमत के फ़ैसले में जजों का नज़रिया नहीं दिया गया है। उन्होंने अदालत ने निर्णय के बारे में कुछ भी सुनने से मना कर दिया।

मुख्य न्यायधीश जस्टिस खेहर का कहना था, 'हमारे हिसाब से निर्णय स्पष्ट है। इस पर किसी भी तरह से स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है।' मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एमपीएलबी) ने 10 सितंबर को अपनी कार्यकारिणी बैठक भोपाल में बुलाई। इस बैठक में एमपीएलबी अपनी कानूनी समिति के साथ विचार विमर्श किया और आगे की रणनीति तय की। उधर मुस्लिम धर्म के प्रभावशाली मदरसे दारूल उलूम देवबंद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के साथ कम लोग ही खड़े हैं। तीन तलाक के मुद्दे पर दारूल उलूम पहले भी कई फ़तवे जारी कर चुका है। दारूल उलूम के मौलाना मुफ़्ती अबुल क़ासिम नोमानी का कहना है, 'न्यायालय और संसद को ऐसे किसी क़ानून को बनाने का अधिकार नही है जो इस्लामी क़ानून के विरुद्ध जाए'।

यदि एक अभूतपूर्व और पथ प्रदर्शक निर्णय का प्रमुख मुस्लिम संगठन विरोध करेंगे, उस फ़ैसले को मानने से इनकार कर देंगे तो इसका असर पूरे मुस्लिम समाज पर पड़ेगा। इन संगठनों से प्रभावित मुस्लिम पुरुष तो यही विश्वास करेंगे की तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) के मुद्दे पर यह संगठन उनका साथ देंगे। वही मुस्लिम पुरुष इन संगठनों के प्रभाव के कारण भारत के क़ानून के विरोध में खड़े नज़र आएँगे। इन मुस्लिम संगठनों का काम अपने समाज को सुधारने का होना चाहिए न कि समाज को क़ानून के ख़िलाफ खड़ा करने का। यदि मुस्लिम समाज अपने अंदर की कुरीतियों को सुधारने की जगह उन्हें नज़रअंदाज़ करता रहेगा तो वह कभी तरक्की कर नहीं पाएगा। इसलिए जमीयत उलेमा-ए-हिन्द, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दारूल उलूम देवबंद जैसे संगठनों को इस्लामी समाज में प्रचलित कुरीतियों को सुधारने पर काम करना चाहिए। क़ानून के खिलाफ खड़े होकर उन्हे कुछ नहीं मिलेगा। ❑

(– साभार आईचौक)

कांग्रेस छाप सेक्यूलरिज्म के बुरे दिन

तवलीन सिंह

धीरे-धीरे ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस-छाप सेक्यूलरिज्म के बुरे दिन आ गए हैं। कांग्रेस के लिए यह बुरी खबर होगी, पर भारत के लिए यह बहुत ही शुभ है। यहां स्पष्ट कर दूँ कि असली सेक्यूलरिज्म को मैं बहुत अच्छा मानती हूं। मेरा मानना है कि राजनेताओं और सरकारों को भी धर्म-मजहब से दूर रहना चाहिए, ताकि कभी किसी समुदाय को ऐसा न लगे कि सरकारी नीतियों में पक्षपात है। यही असली सेक्यूलरिज्म है।

जिस सेक्यूलरिज्म को कांग्रेस ने भारतवासियों पर दशकों से थोपा, उसमें पक्षपात इतना साफ दिखता था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यह कहने में कोई तकलीफ नहीं हुई कि भारत के धन-साधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। राजीव गाँधी को कोई पक्षपात नहीं दिखा, जब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के शाह बानो वाले फैसले को संसद में कानून पास करके रद्द कर दिया। उनके सुपुत्र राहुल को भी कोई तकलीफ नहीं हुई, जब उन्होंने अमेरिकी राजदूत को कहा कि 'जेहादी आतंकवाद' से ज्यादा खतरा भारत को 'भगवा आतंकवाद' से है। उनके सलाहकार दिग्विजय सिंह ने एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसी किताब का समर्थन किया, जिसका शीर्षक था 26/11ः आरएसएस की साजिश। जबकि हमले के फौरन बाद दुनिया जान गई थी कि उस आतंकवादी घटना के पीछे कौन थे।

पिछले सप्ताह दो अलग-अलग घटनाएं घटीं, जिन्होंने दर्शाया कि ऐसी झूठी सेक्यूलरिज्म के अब बुरे दिन आ गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक की तलवार को मुस्लिम महिलाओं के सिर के ऊपर से हटा दिया। अगर कांग्रेस के 'सेक्यूलर' दौर में यह फैसला आया होता, तो इसका भी वही हश्र होता, जो शाह बनो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हुआ। ऐसा करना संभव न होता, तो कांग्रेस नेताओं ने खुलकर विरोध किया होता। सो जिन मुस्लिम महिलाओं ने हिम्मत करके इस गलत प्रथा को समाप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटकाए थे, उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि दिल्ली में इन दिनों हिंदुत्ववादियों का राज है।

लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित को भी शुक्र अदा करना चाहिए कि कांग्रेस का दौर समाप्त न हो गया होता, तो उन्हें शायद जमानत न मिलती। कांग्रेस के कई नेता कहते फिर रहे हैं कि कर्नल पुरोहित को जमानत देना गलत था। वे सेक्यूलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन क्या समय नहीं आ गया है कि कांग्रेस के नेता सोचें कि कांग्रेस छाप सेक्यूलरिज्म ने देश का भला किया है या नुकसान? अगर वे सोचेंगे, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों 2014 में देश के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत से जिताया?

यह कैसा सेक्यूलरिज्म है, जो जेहादी आतंकवाद के दौर में भगवा आतंकवाद का भय फैला रहा है? यदि ऐसी कोई चीज है भी, तो क्या भगवा आतंकवादी दुनिया भर में हमले करने के काबिल हैं? हम सब जानते हैं कि हिंदू कट्टरपंथी या कथित भगवा आतंकवादी गौरक्षा के नाम पर थोड़ा-बहुत आतंक फैला सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसके बावजूद कांग्रेस के सेक्यूलर दौर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने इस झूठ को ऐसा बना दिया था कि पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर कहने लगा था कि इस उप-महाद्वीप में असली आतंकवाद भारत फैला रहा है, न कि पाकिस्तानी जेहादी संस्थाएं। सो यह भारत के हित में है कि इस किस्म की झूठी सेक्यूलरिज्म का जल्दी सर्वनाश हो जाए। ऐसा होने के बाद ही शायद कांग्रेस को पुनर्जीवन मिलेगा। ❑

(27 अगस्त अमर उजाला में प्रकाशित।)

तीन तलाक पर फैसले के नतीजे

तुफैल अहमद

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक के मामले में दिया गया फैसला देश में मुस्लिम महिला अधिकारों की राह में हमेशा एक मील का पत्थर माना जाएगा। हालाँकि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कई इस्लामी धार्मिक विद्वानों और मुस्लिम नेताओं से मिले संकेत यही इशारा करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव अभी दूर की कौड़ी है। इस फैसले के बाद भी कोई मुस्लिम पति कई तरीकों से तलाक दे सकता है। पहला तरीका तो यही है कि उसे तीन महीने तक हर महीने तलाक बोलना और पिछली बार बोले गए तलाक को दोहराना होगा। दूसरा यह कि एक बार तलाक बोलने के बाद उसे तीन महीने तक इंतजार करना होगा, ताकि तलाक वैध हो जाए। इन दोनों ही मामलों में मेलमिलाप की गुंजाइश होती है। पेंच यह है कि ऐसे मामलों में अधिकांश महिलाएं मेलमिलाप के बजाय घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न के मामले दायर कर सकती हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारतीय समाज पर हावी हिंदू मान्यताओं के चलते महिलाएं तलाक को अच्छा नहीं मानतीं। हाल के वर्षों में चिट्ठी, फोन कॉल, एसएमएस, फेसबुक, ईमेल, वॉट्सएप आदि के जरिये तलाक देने के मामले सामने आने पर मुस्लिम पुरुषों की खासी आलोचना हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मुस्लिम पति इनमें से किसी भी तरीके से तलाक दे सकते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि इस्लाम में तलाक देने का एकाधिकार सिर्फ पुरुषों के पास है जबकि महिलाओं को उनसे कम अक्ल माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम पतियों का तलाक देने का विशेषाधिकार जरा भी प्रभावित नहीं होगा। यह एक गंभीर मसला है जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अपने 395 पन्नों के फैसले में सुलझाया नहीं। तलाक के लिए मुस्लिम पति अदालत का रुख नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता भी है तो अदालत से उसकी अर्जी खारिज हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसके तहत वह तलाक दे सके। इसके लिए उसे या तो किसी मौलवी के पास जाना होगा या खुद ही लिखकर इसकी तस्दीक करनी होगी। पति के

उलट पत्नी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत तलाक के लिए अदालत जा सकती है। वह किसी इस्लामिक धर्मगुरु के माध्यम से भी तलाक ले सकती है। तुरंत तीन तलाक को अवैध करार देना कई मायनों में ऐतिहासिक है, लेकिन बेहतर यह होता कि सुप्रीम कोर्ट यह व्यवस्था देता कि शौहर को तलाक के लिए अदालत में ही मामला दाखिल करना होगा और दोनों पक्षों के वकीलों की जिरह सुनने के बाद अदालत में तलाक दिया जाए। इससे अदालतें मुस्लिमों में तलाक को लेकर जुड़ी सभी समस्याओं का हल निकाल सकतीं और इस्लामिक धर्मगुरुओं के पास आलोचना करने की कोई वजह नहीं होती। अब कई इस्लामी विद्वान यह दलील दे रहे हैं कि अदालती फैसला शरीयत कानूनों में दखल है। वे ऐसा इस तथ्य के बावजूद कह रहे हैं कि 22 मुस्लिम देश एक बार में तीन तलाक पर प्रतिबंध लगा चुके हैं।

जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के नेता मौलाना महमूद मदनी ने कहा, 'अदालती आदेश के बावजूद तुरंत तीन तलाक को शरीयत कानूनों से संरक्षण मिलता रहेगा।' इसी संगठन के एक और नेता मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धार्मिक मुसलमानों पर कोई असर नहीं पडेग़ा। दारुल उलूम देवबंद के चांसलर मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी ने कहा, 'तीन तलाक पूरी तरह से शरीयत का मसला है जिसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।' असम से लोकसभा सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि इससे ऐसे हालात बनेंगे कि कोई शौहर शरीयत कानूनों के तहत तो तीन तलाक देकर अपना वैवाहिक रिश्ता खत्म कर देगा, लेकिन भारतीय कानूनों के मुताबिक वह रिश्ता वैध ही माना जाएगा। किसी एक पक्ष द्वारा अदालत का रुख किए जाने पर ही कानून के दखल की गुंजाइश बनेगी। ऐसे में यह संभव है कि जो मुसलमान शरीयत कानूनों को मानते हैं वे भारतीय अदालतों की अनदेखी कर सकते हैं और इस्लामिक संगठनों द्वारा संचालित अदालतों में अपने तलाक संबंधी मामलों को ले जा सकते हैं। ब्रिटेन में यह देखा गया है कि धार्मिक मान्यताओं से चलने वाले मुसलमान ब्रिटिश अदालतों के बजाय तलाक के मामलों को इस्लामिक धर्मगुरुओं की शरीयत अदालतों से ही सुलझाते हैं। इसके चलते ब्रिटेन के अलावा यूरोपीय देशों के शहर शरीयत अदालतों के गढ़ बन गए हैं। अगर मदनी, नोमानी और अजमल के बयानों पर गौर करें तो यह महसूस होगा कि भारतीय समाज में भी ब्रिटेन सरीखी शरीयत संस्कृति ही पैठ बनाएगी जो मुसलमानों के लिए भारत की सामाजिक मुख्यधारा से जुड़ाव को मुश्किल बनाएगी।

भारत में इस्लामिक संगठनों के नेटवर्क ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में अगला कदम उठाने के लिए भोपाल में 10 सितंबर को एक बैठक बुलाई है। ऐसी संभावना कम ही है कि मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले से ताल मिलाएंगे। उनकी बैठक का एक नतीजा यह भी हो सकता है कि देश भर में एक अभियान चलाया जाएगा कि मुसलमान भारतीय संविधान के मुताबिक नहीं, वरन शरीयत कानूनों के हिसाब से चलें। इससे आम मुसलमानों में रूढ़िवादी रवैया ही बढेग़ा, क्योंकि जो अशिक्षित हैं उन पर मुस्लिम धर्मगुरुओं का व्यापक प्रभाव है। इसका परिणाम यह होगा कि रूढ़िवादी इस्लाम की जड़ें और मजबूत होंगी।

केवल कानून से ही सामाजिक बदलाव सुनिश्चित नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर भारत में बाल विवाह के सख्त कानून के बावजूद जुलाई में जारी एक्शन ऐड के आंकड़ों के मुताबिक ऐसी शादियों का आंकड़ा 1.3 करोड़ से अधिक है। तुरंत तीन तलाक का मसला भी अमीर मुसलमानों की तुलना में गरीब मुसलमानों के लिए ज्यादा तकलीफदेह है। भारत में सुरक्षा गार्ड, दर्जी या कसाई जैसे काम में लगे गरीब आदमी की औसत आमदनी 10,000 रुपये मासिक होती है। ऐसे गरीब लोग इंसाफ के लिए उन अदालतों से उम्मीद नहीं कर सकते जहां न्याय पाने में कई साल लग जाते हैं। अच्छी खबर यही है कि हाल के वर्षों में अधिकांश मुसलमानों ने अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए भेजना शुरू कर दिया है। इन लड़कियों के पास इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच होती है। नए दौर की मुस्लिम महिलाएं अपने आसपास हो रहे सामाजिक बदलावों को लेकर कहीं ज्यादा जागरूक भी हैं। हालांकि महिला सशक्तीकरण के लिए कानूनी और राजनीतिक लड़ाई बेहद जरूरी है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि उनकी आजादी और तरक्की की राह तभी खुलेगी जब वे अपनी लड़कियों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराएंगी और उन्हें अच्छी नौकरियां करने देंगी। ❑

(लेखक वाशिंगटन स्थित मिडिल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो हैं। साभार दैनिक जागरण।)

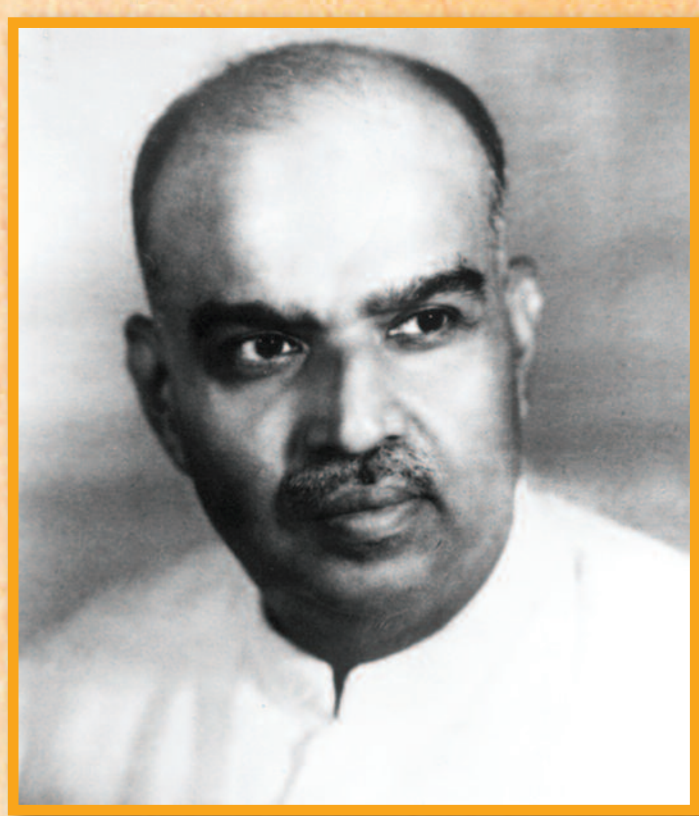

"The gigantic task of reconstruction, cultural, social, economic and political can be rendered possible thought coordinated efforts of bands of trained and disciplined efforts of bands of trained and disciplined Indians. Armed with the knowledge of Indian's past glory and greatness, her strength and weakness, it is they who can place before their country a progrmme of work, which while loyal to the fundamental traditions of India civilisation will be adapted to the changing conditions of the modern world."

- Dr. Syama Prasad Mookerjee
Convocation Address delivered at Gurukul Kangri Viswavidyalaya, Haridwar, 1943

Published By:
Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation
9, Ashoka Road, New Delhi- 110001
E-mail: office@spmrf.org, Phone: 011-23005850